ऋण समझौता

यह समझौता अनुबंध की अनुसूची में उल्लिखित स्थान और तिथि पर किया गया है।

उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता अधिक विशेष रूप से वर्णित और इसकी अनुसूची में निर्धारित (बाद में "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित) और गारंटर, अधिक विशेष रूप से वर्णित और इसकी अनुसूची में निर्धारित (इसके बाद "प्रत्याभूतिकर्ता" के रूप में संदर्भित) ") कौन से भाव, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हों, उनका अर्थ समझा जाएगा और इसमें उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, नामांकित व्यक्ति, वकील और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे (जहां उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता एक व्यक्ति/ एकमात्र मालिक), उत्तराधिकारी-हित में, जैसा भी मामला हो (जहां ऋणी/एकमात्र कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य निगमित निकाय के अर्थ में एक कंपनी है), समय-समय पर भागीदार फर्म, उनमें से उत्तरजीवी और वारिस, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, नामित और भागीदारों के उत्तराधिकारी (जहां उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता एक साझेदारी संघ है), एक भाग के

तथा

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय 'चोला क्रेस्ट', सी 54 और 55, सुपर B-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032 में है, (इसके बाद "द के रूप में संदर्भित" कंपनी"), जो अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि वह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा। इसके उत्तराधिकारी और अन्य भाग के असाइन किए गए

जबकि

A) कंपनी अन्य बातों के साथ-साथ संपत्तियों पर वित्तीय सुविधा प्रदान करने और संपत्ति की खरीद, मकान/फ्लैट/अपार्टमेंट के निर्माण, उसके नवीनीकरण, सुधार या विस्तार के व्यवसाय में लगी हुई है;

B) उधारकर्ताने कंपनी से इस अनुबंध की अनुसूची (बाद में "संपत्ति/संपत्ति" के रूप में संदर्भित) में वर्णित संपत्ति के खिलाफ वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है, जो उधारकर्ता द्वारा अपने नाम पर रखी गई है और/या बंधक के लिए जिसके लिए उधारकर्ता संबंधित स्वामियों/धारकों से विशिष्ट प्राधिकरण/ मुख्तारनामा प्राप्त किया हो;

C) उधारकर्ता कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हो गया है और पूरी तरह से यहां निर्धारित किया गया है और विशेष रूप से पूरी देय राशि तक बिक्री, अलगाव, बंधक या किसी अन्य तरीके से गिरवी रखी गई संपत्ति से निपटने के लिए नहीं है। इस समझौते के तहत कंपनी को भुगतान किया जाता है;

D) प्रत्याभूतिकर्ताने कंपनी से उधारकर्ता को उक्त वित्तीय सुविधा का विस्तार करने का अनुरोध किया है और उपरोक्त के लिए विचार करते हुए, प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी को यहां निहित संविदात्मक नियमों और शर्तों के उधारकर्ता द्वारा उचित प्रदर्शन की प्रत्याभूति देने और सभी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए सहमत हो गया है। इस समझौते में निर्धारित;

E) कंपनी, उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा किए गए उपरोक्त अभ्यावेदन पर भरोसा करते हुए, इसके बाद निर्धारित नियमों और शर्तों पर, उधारकर्ता द्वारा मांगी गई वित्तीय सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है;

अब यह समझौता निम्नानुसार गवाह है:
परिभाषाएं और व्याख्याएं:

इस अनुबंध में, जब तक कि विषय या उसके संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, नीचे सूचीबद्ध अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे। यहां परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का जहां सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के अनुसार व्याख्या और अर्थ उन्हें सौंपा गया है, वहां वह व्याख्या और अर्थ होगा।

a) शब्द "अनुबंध" का अर्थ है और इसमें यह ऋण समझौता, अनुसूची / एस, अनुलग्नक, स्वागत पत्र, एक किश्त जारी होने के बाद पूर्व-EMII को सूचित करने वाले पत्र, कोई परिशिष्ट, पूरक समझौते या संलग्नक इस अनुबंध के साथ या इसके बाद शामिल हैं।

b) ""उधारकर्ता" शब्द का अर्थ एक व्यक्ति/कंपनी/संस्था/एसोसिएशन/ट्रस्ट/इकाई होने के नाते, जिसका नाम अनुसूची में इस प्रकार दिया गया है और जिसके नाम पर कंपनी द्वारा ऋण खाता का रखरखाव किया जाता है। जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, ऋणी शब्द का अर्थ होगा और इसमें कोई भी कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, नामांकित, निष्पादक, वकील, प्रशासक, असाइन, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उधारकर्ता का उत्तराधिकारी शामिल होगा और इसमें और भी शामिल होंगे एक से अधिक उधारकर्ता।

c) अभिव्यक्ति "चोला होम रिटेल लेंडिंग रेट/चोला संदर्भ दर" या CHRLR/CRR का अर्थ कंपनी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ब्याज दर है।

d) अभिव्यक्ति "देय तिथि" का अर्थ है, वह तिथि जिस पर ऋण की मूल राशि और / या ब्याज और / या इस समझौते के तहत देय कोई अन्य राशि और / या ऋण राशि की शेष राशि, जैसा भी मामला हो, की किस्त इस समझौते के किसी भी खंड के तहत भुगतान के लिए देय है।

e) अभिव्यक्ति "इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज" या **ECS** और "**नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस**" या "**ACH**" का अर्थ है एक डेबिट क्लियरिंग सेवा जिसमें ई-NACH या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य मैंडेट शामिल है, जिसमें भागीदारी के लिए सहमति दी गई है इस ऋण समझौते के तहत EMI के भुगतान की सुविधा के लिए ऋणी द्वारा लिखित।

f) अभिव्यक्ति "समान मासिक किस्त" या "EMI/किस्त" का अर्थ है प्रत्येक देय तिथि पर देय राशि, जैसा कि स्वागत पत्र या अनुसूची में निर्दिष्ट है, ऋण की अवधि में ब्याज के साथ ऋण को परिशोधित करने के लिए आवश्यक है जिसे कि समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है ।

g) अभिव्यक्ति "**अस्थायी ब्याज दर**" का अर्थ कंपनी द्वारा समय-समय पर चोला खुदरा उधार दर के रूप में अधिसूचित ब्याज दर है और इस समझौते के अनुसार उधारकर्ता की ऋण पर कंपनी द्वारा स्प्रेड, यदि कोई हो, जिसे कि कंपनी द्वारा तय किया जा सकता है, और के साथ लागू किया जाता है।

h) अभिव्यक्ति "**वित्तीय अदलबदल**" का अर्थ उधारकर्ता के एक या अधिक ऋणों को अन्य उधारदाताओं से कंपनी को हस्तांतरित करना होगा।

i) शब्द "ऋण" का अर्थ है इस अनुबंध और अनुसूची में प्रदान की गई ऋण राशि।

j) अभिव्यक्ति "दंडात्मक प्रभारों" का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 8 में बताया गया है।

k) अभिव्यक्ति "**पूर्व समान मासिक किस्त ब्याज**" या "**PEMII/PEMI ब्याज**" का अर्थ है ऋण पर ऋण पर अनुसूची में दर्शाई गई दर पर ब्याज/संवितरण की तारीख से संबंधित तारीख तक ब्याज **EMI** शुरू होने की तारीख से पहले। देय तिथियां जिस पर भुगतान के लिए PEMII देय होंगे, एक किश्त या स्वागत पत्र या कंपनी के लिए पसंदीदा किसी अन्य मोड के जारी होने के बाद पूर्व-EMI को सूचित करने वाले पत्रों के माध्यम से उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।

l) अभिव्यक्ति "पोस्ट डेटेड चेक" या "PDC" का अर्थ है कि प्रत्येक किस्त की तारीख से मेल खाने वाली तारीखों वाली किस्त की राशि के लिए उधारकर्ता द्वारा कंपनी के पक्ष में किस्त की राशि का चेक।

m) शब्द "पूर्वभुगतान" का अर्थ है कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार समय से पहले चुकौती और इस तरह के समय से पहले चुकौती के समय लागू।

n) शब्द "संपत्ति" का अर्थ होगा और इसमें भूमि, घर, फ्लैट और अन्य अचल संपत्तियां शामिल होंगी जैसा कि अनुसूची में निर्धारित है, खरीद, निर्माण, सुधार / विस्तार या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जिसका इस समझौते के तहत कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है और ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ ऋण के देय पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में पेश की जाने वाली सुरक्षा और किसी भी अन्य संपत्ति के रूप में पेश किया जाता है। इस प्रकार निर्दिष्ट सभी संपत्तियों / संपत्तियों में भूमि, सामान्य क्षेत्र, सुखभोग, विशेषाधिकार, विकास अधिकार, फिक्स्चर और फिटिंग, भवन और सुपरस्ट्रक्चर शामिल होंगे / भविष्य में उसी पर बनाए जाएंगे और इसे "एसेट / एस" कहा जाएगा। इस समझौते के अर्थ के लिए।

o) अभिव्यक्ति "ब्याज दर" का अर्थ इस समझौते के अनुच्छेद 2 में संदर्भित ब्याज दर है।

p) शब्द '**पुनर्भुगतान**' का अर्थ है ऋण की मूल राशि का पुनर्भुगतान, उस पर ब्याज, विलंबित भुगतानों पर अतिरिक्त ब्याज, प्रतिबद्धता और/या कोई अन्य शुल्क, प्रीमियम, शुल्क या कंपनी द्वारा ऋण, लागत हासिल करने में किए गए खर्च, सांविधिक या नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता के ऋण पर लागू किए गए परिवर्तनों के कारण कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किए गए/लगाए गए व्यय या प्रभार, संभावित या पूर्वव्यापी प्रभाव से, की वसूली में किए गए व्यय उधारकर्ता से ऋण देयता, कंपनी को इस समझौते के अनुसार देय अन्य देय राशि।

q) अभिव्यक्ति "मंजूरी पत्र" का अर्थ है इस अनुबंध में प्रवेश करने से पहले कंपनी द्वारा कर्ज की मंजूरी की सूचना देने और प्रासंगिक नियमों और शर्तों का उल्लेख करने के लिए कर्जदार को जारी किया गया पत्र।

r) शब्द "अनुसूची" का अर्थ इस समझौते की अनुसूची है।

s) अभिव्यक्ति "स्वागत पत्र" का अर्थ है इस समझौते के निष्पादन के बाद, कंपनी द्वारा उधारकर्ता को जारी किया गया एक पत्र, जिसमें चुकौती अनुसूची देय तिथियों, प्रत्येक देय तिथि पर देय किश्तों, किश्तों के भुगतान की आवृत्ति और ब्रेकअप को निर्धारित करती है। प्रत्येक किश्त के तहत मूलधन और ब्याज संलग्न किया जाएगा।

एकवचन में उपयोग किए जाने वाले सभी शब्दों में, जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो, बहुवचन शामिल होगा और एक लिंग के संदर्भ में सभी लिंग शामिल होंगे।

1. ऋण की शर्तें:

a) उधारकर्ता कंपनी से उधार लेने के लिए सहमत होता है और कंपनी एतद्द्वारा उधारकर्ता को ऋण के रूप में एक या अधिक किश्तों में निर्धारित शर्तों पर ऋण के रूप में राशि प्रदान करने के लिए सहमत होती है। इसके अलावा, सुविधा का लाभ उठाने से पहले उधार दी जा सकने वाली धनराशि के मूल्यांकन के उद्देश्य से बंधक के लिए प्रस्तावित ऐसी संपत्ति के मूल्य का निर्धारण कंपनी के एकमात्र और अनन्य विवेकाधिकार पर होगा और यह बाध्यकारी होगा ऋण लेने वाले।

b) इस समझौते के तहत प्रदान किया गया ऋण, ऋण की अवधि के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए होगा और उसमें निर्दिष्ट समझौते की तारीख से शुरू होने वाली अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्य के लिए, इस समझौते के तहत प्रदान किया गया ऋण निर्दिष्ट अवधि के लिए होगा ऋण की अवधि के तहत और उसमें निर्दिष्ट समझौते की तारीख से शुरू होने वाली अनुसूची में उल्लिखित उद्देश्य के लिए, जब तक कि इस समझौते को यहां निर्धारित तरीके से पहले समाप्त नहीं किया जाता है। इस समझौते के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग ऋण चुकाएंगे। कंपनी, अपने एकमात्र और अनन्य विवेकाधिकार पर सुविधा को नवीनीकृत करने के लिए सहमत हो सकती है और यदि सुविधा को वापस बुला लिया/रद्द कर दिया जाता है, जिसे कंपनी इस समझौते की अवधि के दौरान / में निर्दिष्ट ऋण अवधि के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए करने की हकदार है। अनुसूची, उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता इस समझौते में निर्धारित कंपनी द्वारा मांग पर उस पर अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि को चुकाने के लिए बाध्य होंगे।

2. ब्याज:

a) ऋण राशि पर ब्याज की दर अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

b) कंपनी चोला होम रिटेल लेंडिंग रेट (CHRLR)/चोला संदर्भ दर (CRR)/ मौजूदा बाजार स्थितियों से जुड़ी ब्याज दर को रीसेट करने की हकदार है। इस तरह के रीसेट संवितरण की तारीख से 6 महीने/सालगिरह की अवधि के पूरा होने के बाद और उसके बाद इस तरह के रीसेट की तारीख से प्रत्येक 3 महीने के

बाद लागू होंगे। यदि रीसेट तिथि से पहले (अर्थात लागू होने वाली प्रचलित ब्याज दर की तारीख से 6 महीने के पूरा होने से पहले), ऋणी जोखिम रेटिंग के अधीन कंपनी द्वारा प्रस्तावित चालू दर के अनुसार ब्याज दर को रीसेट करना चाहता है, तो वह/ वह रीसेट की तारीख के अनुसार ब्याज समायोजन शुल्क (IAC) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

c) उधारकर्ता ऋण की राशि और ऋण के संवितरण की तारीख से ऋणी द्वारा देय अन्य सभी शुल्कों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

d) कंपनी अपने विवेक पर अनुबंध के निर्वाह के दौरान ऋण के लिए लागू ब्याज दर, ऊपर या नीचे समय-समय पर संभावित रूप से संशोधित करने की हकदार होगी। इस तरह के बदलाव मंजूरी पत्र की शर्तों के अधीन होंगे और उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

e) ब्याज और सभी शुल्क दिन-प्रतिदिन अर्जित होंगे और वार्षिक आधार पर गणना की जाएगी और वास्तविक दिनों की संख्या और मासिक आधार पर चक्रवृद्धि होगी।

f) कर्जदाराने व्याज, शुल्क, उपकर, परवाना शुल्क, इतर कर, इतर शुल्क/विमा प्रीमियम, केंद्र/राज्य सरकारे/अधिकारी यांना या कराराच्या संदर्भात किंवा त्यामध्ये कोणतेही व्याज/शुल्क आकारले जाणारे कर यासह सर्व कर भरावेत. मालमतेशी संबंधित, पूर्वलक्षी किंवा संभाव्य प्रभावाने असो आणि कंपनीने अशी कोणतीही देयके दिल्यास, कर्जदार कंपनीला या संदर्भात कंपनीकडून देय सूचना मिळाल्यापासून 3 दिवसांच्या आत कंपनीला परतफेड करेल. जर कर्जदार सदर रकमेची परतफेड करू शकला नाही. पेमेंट डिफॉल्टवर लागू होणारे दंडात्मक शुल्क कंपनीने पेमेंट केल्याच्या तारखेपासून कर्जदाराने कंपनीला दिलेल्या रकमेची वास्तविक परतफेड केल्याच्या तारखेपर्यंत जमा होतील.

g) जब तक कंपनी द्वारा इस समझौते की शर्तों में बदलाव नहीं किया जाता है, तब तक ऋण राशि पर ब्याज की दर अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होगी।

h) उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता सहमत हैं कि ब्याज उधारकर्ता द्वारा चुने गए और उसकी अनुसूची में निर्दिष्ट के रूप में रीसेट याबदलनेवाली दर के साथ या बिना निश्चित दर पर होगा।

i) उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता सहमत हैं कि निश्चित ब्याज दर के प्रत्येक रीसेट या ब्याज की अस्थायी दर की भिन्नता पर, कंपनी के पास यह निर्णय लेने का विवेक है कि या तो EMI को स्थिर रखा जाए और ऋण की अवधि में परिवर्तन किया जाए या ऋण की अवधि को स्थिर रखा जाए। और EMI में बदलाव करें।

कर्जदार द्वारा निश्चित ब्याज दर का विकल्प चुने जाने पर, कर्ज पर निश्चित ब्याज दर के लिए लागू सभी शर्तें लागू होंगी। कर्जदार द्वारा निश्चित दर अवधि के दौरान कर्ज के पूर्वभुगतान की स्थिति में, कर्जदार को अनुसूची में निर्धारित अनुसार पूर्वभुगतान शुल्क का भुगतान करना होगा।

j) कर्जदार एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करके निश्चित ब्याज दर से अस्थायी ब्याज दर में बदलाव करना चुन सकता है। निश्चित ब्याज दर से अस्थायी ब्याज दर में जाने के अनुरोध को स्वीकार करना कंपनी के विवेक पर निर्भर होगा। इसके अलावा, यह कर्जदार द्वारा कंपनी द्वारा बताए गए अस्थायी ब्याज दर की स्वीकृति, इस बदलाव के लिए शुल्क के भुगतान और कंपनी द्वारा निर्धारित परिशिष्ट, यदि कोई हो, के निष्पादन पर निर्भर होगा। निश्चित ब्याज दर के लिए लागू शर्तें निश्चित दर अवधि के दौरान लागू होंगी। इसी प्रकार, अस्थायी ब्याज दर के लिए लागू शर्तें अस्थायी दर अवधि के दौरान लागू होंगी।

k) कर्जदार द्वारा अस्थायी ब्याज दर का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, अस्थायी ब्याज दर वाले कर्ज पर लागू सभी शर्तें इस कर्ज पर लागू हो जाएंगी।

l) अस्थायी ब्याज दर में किसी भी बदलाव के कारण कर्ज के कार्यकाल, किस्त के मूल्य या दोनों में बदलाव हो सकता है।

m) कोई व्यक्तिगत कर्जदार जो गैर-व्यावसायिक प्रयोजन से कर्ज लेता है, अस्थायी ब्याज दर में बदलाव होने की स्थिति में, निम्नलिखित में से कोई भी विकल्प चुनने का हकदार होगा:

i. a) कर्ज की अवधि, b) किस्त का मूल्य या c) दोनों में बदलाव

ii. कर्ज का पूरा पूर्वभुगतान या आंशिक पूर्वभुगतान, जो अनुसूची में निर्दिष्ट मूल्य से कम नहीं होगा।

iii. कर्ज की अवधि के दौरान बदलाव बदलाव करने के विकल्प के साथ अस्थायी ब्याज दर से निश्चित ब्याज दर में बदलाव करना। यदि कर्जदार एकबार बदलाव करने के विकल्प का उपयोग कर लेता/लेती है, तो वह कर्ज की अवधि में दोबारा बदलाव करने का विकल्प नहीं चुन सकता/सकती।

कर्जदार के उसे जारी किए गए संचार की तारीख से 7 दिनों के भीतर उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक को लिखित में उपयोग करने या उस बदलाव विकल्प के लिए शुल्क का भुगतान करने या कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से अनुपूरक निष्पादित करने में विफल रहने पर, कंपनी स्वविवेक से कर्ज की अवधि बढ़ाने की हकदार होगी।

n) कंपनी के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऋणी इस समझौते के अनुसार कंपनी के कारण किसी भी राशि के भुगतान में चूक करता है, तो उधारकर्ता कंपनी को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान अनुसूची में उल्लिखित दर पर करेगा (या इस तरह की उच्च दर पर कंपनी चूक की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक संपूर्ण बकाया पर समय-समय पर निर्दिष्ट/सूचित कर सकती है।

o) इस समझौते के तहत उधार लेना एक वाणिज्यिक लेनदेन है और कर्जदार ब्याज वसूलने से संबंधित सूदखोरी या अन्य कानूनों के तहत किसी भी बचाव को माफ कर देता है।

3. प्रसंस्करण शुल्क:

उधारकर्ता ने कंपनी प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करने के लिए बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के अपनी सहमति व्यक्त की है, जैसा कि ऋण की मंजूरी के लिए कंपनी को आवेदन जमा करते समय उधारकर्ता द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। उक्त प्रसंस्करण शुल्क जो कि अनुबंध की अनुसूची में अधिक विशेष रूप से उल्लिखित है, किसी भी परिस्थिति में उधारकर्ता को वापस नहीं किया जाएगा, भले ही ऋण की मंजूरी के बाद कंपनी द्वारा ऋण नहीं लिया गया हो या प्रदान नहीं किया गया हो।

4. संवितरण:

a) उधारकर्ता कंपनी द्वारा अपनी इच्छानुसार ऋण के वितरण के तरीके को इंगित करेगा। हालांकि, कंपनी के पास संवितरण के तरीके को निर्धारित करने का एकमात्र विवेक होगा, जिसे इस समझौते के तहत उधारकर्ता को संवितरण माना जाएगा।

b) ऋण एक या अधिक किश्तों में वितरित किया जाएगा जैसा कि कंपनी द्वारा उधारकर्ता के अनुरोध पर निर्माण की आवश्यकता या प्रगति के संदर्भ में या किसी बिल्डर, डेवलपर, विक्रेता या तीसरे पक्ष को तय किया जाएगा। किसी भी मामले में कंपनी का निर्णय अंतिम होगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा और इसे इस समझौते के तहत उधारकर्ता को संवितरण माना जाएगा।

c) इस समझौते के अनुसार कंपनी द्वारा उधारकर्ता को किए जाने वाले सभी संवितरण चेक द्वारा विधिवत रूप से चिह्नित, "A/c" के रूप में चिह्नित किए जाएंगे। केवल आदाता" या डिमांड ड्राफ्ट या कंपनी के विवेकाधिकार पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली के तहत अनुमत धन के हस्तांतरण के किसी अन्य स्वीकृत तरीके से। ऐसे सभी चेक या हस्तांतरण के तरीकों के संबंध में वसूली शुल्क या ऐसे अन्य शुल्क, यदि कोई हैं, तो उधारकर्ता को वहन करना होगा, भले ही उधारकर्ता या उसके बैंक।

d) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि संवितरण का दिन चेक/भुगतान उपकरण सौंपने की तारीख होगी या वह तारीख होगी जिस दिन कंपनी सीधे एनईएफटी/आरटीजीएस/इलेक्ट्रॉनिक फंड के किसी अन्य माध्यम से उधारकर्ता के बैंक खाते में क्रेडिट प्रभाव डालती है। जैसा भी मामला हो स्थानांतरण।"

e) उधारकर्ता कंपनी की सहमति और आवश्यक रद्दीकरण शुल्क के भुगतान के बिना संवितरण को स्वीकार करने से इनकार करने का हकदार नहीं होगा।

f) \किस्त की देय तिथि से पहले, कंपनी रद्द करने के लिए सहमत होने के अधीन, ऋणी 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ऋण को तुरंत चुकाएगा। या ऐसी अन्य दर के बारे में ऋणी को संवितरित ऋण राशि पर रद्दीकरण शुल्क के रूप में संवितरण की तारीख से ऋणी द्वारा चुकौती की तारीख तक सूचित किया जाता है।

5. परिस्थितीय मिसाल:

निम्नलिखित शर्तों की मिसाल ("शर्तें मिसाल") को पूरा करने पर कंपनी द्वारा ऋणी को ऋण राशि वितरित की जाएगी । उधारकर्ता / प्रत्याभूतिकर्ता नीचे लिखित अनुसूची में उल्लिखित तारीख तक या कंपनी द्वारा बढ़ाई जा सकने वाली तारीख के भीतर पूर्ववर्ती शर्तों का पालन करेगा। इस तरह की तारीख तक पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी ऋण देने से इनकार कर सकती है और यदि किसी भी कारण या असाधारण परिस्थितियों के लिए, पहले से ही वितरित, अपने विवेकाधिकार पर, या तो ब्याज और शुल्क के साथ संवितरित राशि को वापस ले लेगा, यदि कोई हो कुल मिलाकर या वितरित राशि को ऋण के रूप में परिवर्तित करें और ऋणी को किश्तों का भुगतान शुरू करने की सलाह दें। उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें हैं:

a) इस समझौते में निहित उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता के अभ्यावेदन और वारंटी (i) यहां की तिथि के अनुसार, और (ii) इच्छित संवितरण की तिथि के अनुसार (जैसे कि ऐसी तिथि पर किए गए हैं)/ऋण प्राप्त करने की तिथि पर सत्य होंगे । और ऋण की अवधि के दौरान वैध रहेगा;

b) संपत्ति की खरीद के लिए ऋण के मामले में, उधारकर्ता कंपनी को आश्वासन देता है कि, इस दिन ऋण के वितरण को प्राप्त करने से पहले, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपने स्वयं के योगदान का उपयोग किया है अर्थात संपत्ति की लागत कम ऋण।

c) यदि कंपनी द्वारा ऐसा आवश्यक है, तो कंपनी को स्वीकार्य गारंटी कंपनी के पक्ष में निष्पादित की जाएगी;

d) उधारकर्ता को कंपनी द्वारा अपेक्षित तरीके से पोस्ट डेटेड चेक/ECS मैंडेट्स/ACH/NEFT/ऐसे अन्य लागू प्राधिकरणों या उपकरणों को निष्पादित और वितरित करना होगा;

e) उधारकर्ता ने कंपनी के पक्ष में ऐसी सुरक्षा बनाई होगी, जो कंपनी को स्वीकार्य हो ("सुरक्षा")। ऋणी इस बात का भी सबूत देगा कि उनके पास संपत्ति के लिए सभी बाधाओं से मुक्त एक स्पष्ट, वैध और विपणन योग्य शीर्षक है, यदि संपत्ति तैयार संपत्ति है या उस भूमि पर जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है, जिसे गिरवी रखा जा सकता है कंपनी के पक्ष में संपत्ति का निर्माण किया जाना है या खरीद के मामले में, विक्रेता के साथ बिक्री के लिए वैध समझौते का सबूत या संपत्ति के निर्माण के मामले में संपत्ति के निर्माता या डेवलपर से आवंटन पत्र। बशर्ते कि जहां ऋणी/संपत्ति के मालिक को लागू कानून के तहत ऐसी सुरक्षा के निर्माण के संबंध में कोई पंजीकरण और फाइलिंग करने की आवश्यकता होती है, उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा/सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति का मालिक इस तरह के सभी पंजीकरण और फाइलिंग करता है। संबद्ध। बशर्ते आगे कि जहां उधारकर्ता को ऐसी किसी प्रतिभूति के निर्माण के लिए किसी सहमति की आवश्यकता हो, ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति के मालिक ने भी ऐसी सुरक्षा के निर्माण से पहले ऐसी सभी सहमति प्राप्त की है;

f) उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता और/या ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनकी कंपनी को आवश्यकता हो सकती है, ने ऐसे अन्य दस्तावेजों या लेखों को निष्पादित किया होगा जिनकी कंपनी को आवश्यकता हो सकती है और उन्होंने ऐसे अन्य कार्यों को निष्पादित किया होगा और ऐसे अन्य दस्तावेज निष्पादित किए होंगे जिनकी कंपनी को आवश्यकता हो सकती है।

g) चूक की घटना का न होना: अनुच्छेद 13 में परिभाषित चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई होगी और जारी रहेगी।

h) जहां उधारकर्ता कंपनी से वित्तीय अदलबदल के लिए ऋण प्राप्त करना चाहता है, उधारकर्ता को मौजूदा / पिछले बैंक / संस्थान, जैसा भी मामला हो, से आवश्यक अनुमतियां, पत्र प्राप्त करना होगा और कंपनी को सही जानकारी का खुलासा करना होगा।

6. परिशोधन (अनुच्छेद 6 केवल गृह ऋण पर लागू होगा)

a) इस समझौते में निहित अनुच्छेद 2 और ब्याज दरों में बदलाव आदि के प्रावधान के अधीन, उधारकर्ता अनुसूची में निर्धारित अनुसार ऋण का परिशोधन करेगा। हालांकि, किसी भी कारण से संवितरण में देरी या प्रगति की स्थिति में, EMI शुरू होने की तारीख उस महीने के पहले दिन होगी जिसमें ऋण का संवितरण पूरा हो जाएगा और परिणामस्वरूप देय तिथि ऐसे मामले में पहली EMI का भुगतान अगले महीने का अंतिम दिन होगा।

b) उपरोक्त (ए) के अलावा, यदि ऋण किश्तों में वितरित किया जाता है, तो उधारकर्ता को पीईएमआई ब्याज का भुगतान करना होगा।

c) कर्जदार कोई देरी किए बिना संबंधित नियत तारीखों पर या उससे पहले PEMI ब्याज और EMI का भुगतान करेगा और कर्जदार को EMI या PEMI ब्याज का देय तिथि पर नियमित रूप से भुगतान करने के दायित्व के संबंध में कोई नोटिस, रिमाइंडर या सूचना नहीं दी जाएगी।

d) उधारकर्ता द्वारा कंपनी को चुकौती को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए, ऋणी कंपनी को स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल भुगतान मोड का उपयोग PEMII/EMI, ब्याज और अन्य शुल्कों के परिशोधन/पुनर्भुगतान के लिए अधिदेश/लागू लिखत के साथ पंजीकरण करके कर सकता है। कर्जदार/बैंकर/एस।

e) इस समझौते में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, अस्थायी ब्याज दर के संबंध में, कंपनी EMI राशि को उपयुक्त रूप से बढ़ाने की हकदार होगी यदि:

i) उक्त EMI ऋणात्मक परिशोधन की ओर ले जाएगी (अर्थात EMI पूरी तरह से ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है), और/या

ii) उक्त EMI में निहित प्रमुख घटक किसी भी कारण से कंपनी द्वारा ऋण के लिए निर्धारित निर्धारित चुकौती अवधि के भीतर ऋण को परिशोधित करने के लिए अपर्याप्त है, जब तक कि कंपनी द्वारा अपने विवेकाधिकार पर ऐसे नियमों और शर्तों के साथ विशेष रूप से समय के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती है।

उधारकर्ता को ऐसी बढ़ी हुई EMI राशि और कंपनी द्वारा तय की गई संख्या और कंपनी द्वारा उधारकर्ता को सूचित करने की आवश्यकता होगी।

f) कंपनी समय-समय पर अपने CHRLR/CRR में इस तरह से बदलाव कर सकती है, जिसमें ऋण राशि शामिल है, जैसा कि कंपनी अपने विवेक से उचित समझे।

g) उधारकर्ता अपनी मर्जी से कंपनी को अपनी आय का विवरण हर साल इसकी तारीख से भेजेगा। हालांकि, कंपनी के पास यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता से किसी भी समय अपने रोजगार, व्यापार, व्यवसाय या पेशे से संबंधित ऐसी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करे और उधारकर्ता ऐसी जानकारी/दस्तावेज तुरंत प्रस्तुत करे।

7. चुकौती: (अनुच्छेद 7 केवल संपत्ति पर ऋण पर लागू होगा)

a) उधारकर्ता कंपनी को सभी राशियों का भुगतान करेगा जो इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा कंपनी को देय हो सकती है, जब भी वह बिना किसी देरी या डिफ़ॉल्ट के कंपनी से किसी भी सूचना के बिना देय हो। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसके द्वारा चुकौती अनुसूची का कड़ाई से अनुपालन ऋण प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और वह समय इस अनुबंध का सार है।

b) ऋण की चुकौती और उस पर ब्याज उधारकर्ता द्वारा अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अनुसार किश्तों में किया जाएगा। यहां ऊपर उल्लिखित चुकौती अनुसूची कंपनी के इस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है कि वह इस समझौते के तहत विचार किए गए ब्याज और अन्य देय राशि के साथ पूरे ऋण की अदायगी की मांग करे। इसके अलावा, किस्त की गणना/निर्धारण 'किस्तों की राशि और उस पर ब्याज की पुन: गणना करने के कंपनी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा, जिसमें किसी भी स्तर पर यह पता चलने की स्थिति में कि किश्तों की गणना गलत तरीके से की गई है। हालांकि, अनुसूची में प्रदान की गई किश्तें कंपनी के किसी भी समय अनुबंध को समाप्त करने के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगी, यदि वह उचित समझे और सभी भविष्य की किश्तों और किसी अन्य राशि जो देय हो, भविष्य की किश्तों पर किसी भी छूट के अधीन हो सकती है जैसा कि इसके द्वारा अनुमति दी जा सकती है। इस तरह के किसी भी संशोधन की स्थिति में, उधारकर्ता सहमत होता है और कंपनी को नए पोस्ट डेटेड चेक/ACH या ECS मैंडेट जारी करने के लिए सहमत होता है जैसा कि कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकता है।

8. दंडात्मक प्रभार

इस अनुबंध के तहत निहित कंपनी के समापन के अधिकार और किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची में निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट की एक या अधिक घटनाएं घटित होने की स्थिति में, कर्जदारों को यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट दर से और तरीके से कंपनी को दंडात्मक शुल्क का भुगतान करना होगा।

दंडात्मक प्रभार लगाना हालाँकि, कर्जदार को कर्ज देने की अनिवार्य शर्त के रूप में चुकौती अनुसूची का सख्ती से अनुपालन करने से राहत नहीं देगा।

9. वास्तविक जेब से खर्च और अन्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति:

निम्नलिखित के लिए कंपनी द्वारा किए गए जेब से खर्च की प्रतिपूर्ति उधारकर्ता द्वारा की जाती है जब भी कंपनी द्वारा मांग की जाती है।

a) इस समझौते के अनुच्छेद 11 के तहत उधारकर्ताके इरादे के अनुसार ऋण हासिल करने में किए गए खर्च।

b) उधारकर्ता के स्पष्ट विपणन योग्य शीर्षक को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संपत्ति के संबंध में ऋणभार प्रमाण पत्र या खाता / पट्टा उद्धरण या दस्तावेजों की कोई अन्य प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में किए गए व्यय ।

c) कंपनी के विवेक पर, उधारकर्ता/ओं द्वारा चुकौती में चूक करने पर, उधारकर्ता/ओं और प्रत्याभूतिकर्ता ओं द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय, अधिवक्ता से जांच की गई।

d) **इस अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, विफलता की स्थिति में, अंतिम संवितरण/पंजीकरण की तारीख से लेकर मूल बिक्री विलेख/दस्तावेज़ की वास्तविक प्राप्ति तक, अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर दंडात्मक शुल्क लिया जाएगा। उधारकर्ताओं को अंतिम विक्रय विलेख/दस्तावेज़ उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय से नियत तारीख से परे, यानी पंजीकरण की तारीख से 30 दिन बाद प्राप्त करना होगा।**

e) कंपनी द्वारा अपने एजेंटों के माध्यम से संपत्ति का निरीक्षण करने में किए गए व्यय और/या ऋण के लंबित रहने के दौरान कंपनी के पैनल मूल्यांकनकर्ता के माध्यम से संपत्ति के मूल्यांकन में किए गए व्यय।

f) उधारकर्ताओं से अतिदेय किश्तों की वसूली में और ऋण के लंबित रहने के दौरान उधारकर्ता के बाहरी चेकों की वसूली के लिए कंपनी द्वारा किया गया खर्च।

g) कंपनी और कर्जदारों, प्रत्याभूतिकर्ता या कर्जदारों और/या अन्य बैंकों/संस्थाओं/सरकारी प्राधिकरणों आदि के बीच प्रत्याभूतिकर्ता के बीच किसी मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में कंपनी द्वारा किए गए ऐसे अन्य शुल्क या खर्च।, जिसमें कंपनी को वादी द्वारा वाद के पक्षकार के रूप में बनाया गया है या जहां कंपनी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह स्वयं को वादी या प्रतिवादी में से एक के रूप में उधारकर्ता, प्रत्याभूतिकर्ता /संपत्ति के खिलाफ अपना अधिकार या हित साबित करने के लिए पेश करे, संपत्ति।

h) सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत ऋण देयता की वसूली की प्रक्रिया में कंपनी द्वारा किए गए व्यय।

i) इस ऋण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा किए गए ऐसे अन्य शुल्क और व्यय।

j) इस ऋण के कारण कंपनी को हुई हानि या अतिरिक्त मौद्रिक बोझ, यदि कोई हो, उधारकर्ता के क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन के आधार पर ब्याज दर में कमी के कारण या किसी अन्य कारण से या किसी भी तरीके में परिवर्तन के कारण नियामक या सांविधिक प्राधिकारियों या ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार लेखांकन या योजना।

यदि उधारकर्ता कंपनी को उपरोक्त किसी भी शुल्क या व्यय की प्रतिपूर्ति या भुगतान करने में विफल रहता है, जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो कंपनी इस तरह के भुगतान की सीमा तक ऋण खाते को डेबिट कर सकती है और इसे तत्काल अगले में से वसूल कर सकती है। उधारकर्ता द्वारा कंपनी को या ऐसे अन्य उपयुक्त समय पर देय और देय EMI गिरना, जैसा कि कंपनी उचित समझती है।

10. किश्तों के भुगतान का तरीका:

a) इस समझौते के तहत सभी भुगतानों का भुगतान उधारकर्ता द्वारा तुरंत देय तिथियों पर किया जाएगा, कंपनी को एक्सचेंज और कटौती से मुक्त।

b) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने मासिक किस्तों की गणना करने के कंपनी के तरीके के साथ-साथ मूलधन और ब्याज में विभाजन को समझने और सहमत होने की पुष्टि की है।

c) यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, ऋण की चुकौती स्थायी निर्देश (SI)/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ECS)/ACH/ या कंपनी को समय-समय पर स्वीकार्य इस तरह के अन्य मोड के माध्यम से कंपनी को अधिकृत करने के लिए होगी। उधारकर्ता के बैंक खाते में सीधे डेबिट, पोस्ट डेटेड चेक या नकद में प्रेषण या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय किश्तों को जमा करें। अनुबंध में कहीं और कही गई किसी बात के होते हुए भी, यदि विनियम केवल ACH/ECS/RTGS/NEFT सुविधाओं के माध्यम से ऋण के पुनर्भुगतान की अनुमति देते हैं, तो कंपनी ऐसी सुविधाओं के माध्यम से भुगतान स्वीकार करेगी।

d) उधारकर्ता किश्तों के भुगतान के लिए कंपनी को पोस्ट डेटेड चेक/ECS या ACH मैंडेट वितरित करेगा। इस तरह के पोस्ट डेटेड चेक या स्थायी निर्देश या मैंडेट्स को जमा करना ऋणी द्वारा कंपनी को दिया गया एक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय अधिकार माना जाएगा, जो उन्हें उनकी संबंधित तिथियों पर प्रस्तुत करने के लिए और उधारकर्ता वारंट करता है कि चेक/मैंडेट का सम्मान किया जाएगा। पहली प्रस्तुति। किसी भी कारण से किसी भी चेक/मैंडेट्स की गैर-प्रस्तुति इस समझौते के तहत देय और देय होने वाली मासिक किस्तों या किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उधारकर्ता की देयता को प्रभावित नहीं करेगी।

e) उधारकर्ता द्वारा कंपनी को देय सभी राशियों का भुगतान बिना किसी कटौती के कंपनी के चेन्नई स्थित पंजीकृत कार्यालय में या कंपनी के किसी भी शाखा कार्यालय में नियत तिथियों को या उससे पहले किया जाएगा। यदि देय राशि किसी अवकाश वाले दिन आती है, तो भुगतान तत्काल पूर्ववर्ती

कार्य दिवस पर किया जाना है। उधारकर्ता द्वारा देय तिथियों पर राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता के ऋण खाते को विशेष उल्लेख खाते (SMA)/गैर-निष्पादित खाते (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा या भारतीय रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी अन्य श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। (RBI) देय तिथि के अंत में। एसएमए और एनपीए श्रेणियों के वर्गीकरण का आधार और उसका उदाहरण अनुसूची में विस्तृत है।

हालांकि, भले ही भुगतान देय तिथियों से पहले किया गया हो, भुगतान के लिए केवल देय तिथियों पर या उपकरणों की प्राप्ति पर जो भी बाद में हो, क्रेडिट दिया जाएगा।

f) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि किसी भी PDC/ECS को प्रस्तुत करने से पहले कंपनी द्वारा उधारकर्ता को कोई नोटिस, रिमाइंडर या सूचना नहीं दी जाएगी।

g) यदि कोई या एक से अधिक या सभी PDC/ECS, जो अनुच्छेद 10 (a) के अनुसार उधारकर्ता द्वारा वितरित किए गए हैं, खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या खो जाते हैं या कंपनी की हिरासत में रहते हैं, या गैर-नकद योग्य देय हो जाते हैं। किसी भी कारण से, तो ऐसी स्थिति में, ऋणी कंपनी से इस तरह के नुकसान, विनाश या गुम होने (जैसा भी मामला हो) की सूचना प्राप्त होने पर या उक्त चेक या उनमें से किसी भी गैर- नकद योग्य होने पर तुरंत ऊपर बताए गए कारणों से, कंपनी को उतनी संख्या में चेक वितरित करें, जो खो गए, नष्ट हो गए, गुम हो गए हों या गैर-नकद योग्य हो गए हों, या ऋण की अदायगी के लिए ऐसी उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था करें जो स्वीकार्य हो और कंपनी द्वारा अनुमोदित।

h) उधारकर्ता द्वारा यह सहमति और समझ में आता है कि कंपनी द्वारा किसी भी कारण से किसी भी चेक की गैर-प्रस्तुति, ऋण चुकाने के लिए उधारकर्ता की देयता को प्रभावित नहीं करेगा। किसी भी कारण से कंपनी किसी भी तरह से देरी, चूक या नकदीकरण में उपेक्षा, किसी भी चेक (चेकों) के नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

i) यदि आवश्यक हो, तो उधारकर्ता, कंपनी की अनुमति के अधीन, कंपनी को प्रत्येक प्रतिस्थापन के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट राशि के स्वैप शुल्क का भुगतान करने पर, एक बैंक में जारी और आहरित चेक को दूसरे बैंक में स्वैप/बदल सकता है।

j) इस समझौते के तहत और/या प्रचलित कानून के तहत कंपनी के किसी भी अन्य अधिकारों या उपायों के पूर्वाग्रह के बिना, उधारकर्ता प्रत्येक PDC/ECS/DD के अनादर के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर चेक अनादर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। हर प्रस्तुति। चेक के अनादरित होने पर प्रभार की वसूली परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत कंपनी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और समय-समय पर लागू और अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुसार है।

k) जहां बाहरी चेक के माध्यम से प्रेषण किया जाता है, उधारकर्ता समय-समय पर कंपनी के विवेक पर संशोधन के अधीन अनुसूची में बताए गए चेक संग्रह शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

l) अनुसूची में उल्लिखित शुल्क कंपनी के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

m) उधारकर्ता तब तक PDCs/ACH या ECS अधिदेशों के संबंध में भुगतान रोकने के निर्देश को रद्द करने या जारी करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऋण या उसकी ऋणग्रस्तता का कोई हिस्सा देय और बकाया है और इस तरह के किसी भी कार्य को एक के साथ प्रतिबद्ध माना जाएगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत धोखाधड़ी करने और अभियोजन से बचने का इरादा। 1881 और कंपनी उधारकर्ता के खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की हकदार होगी।

n) पूर्वभुगतान सहित ऋण को बंद करने के मामले में, उधारकर्ता अनुरोध की तारीख से 60 दिनों के भीतर कंपनी के पास पड़े PDC को एकत्र करेगा, जिसके विफल होने पर कंपनी को नष्ट करने का अधिकार होगा। उसी के साथ उधारकर्ता से कोई और मांग नहीं।

o) उधारकर्ता द्वारा किसी भी योजना का चयन करने या अपने नियोक्ता से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने पर इस्तीफा देने या सेवानिवृत्ति से पहले रोजगार से सेवानिवृत्त होने पर, या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से अपना रोजगार समाप्त करने पर या उधारकर्ता के इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर किसी भी कारण से नियोक्ता की सेवा से, तो इस समझौते या किसी पत्र या दस्तावेज में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, ऋण की पूरी बकाया मूल राशि के साथ-साथ कोई भी बकाया ब्याज और अन्य देय राशि देय होगी उधारकर्ता द्वारा कंपनी को ऐसी योजना या प्रस्ताव, या किसी भी टर्मिनल लाभ, जैसा भी मामला हो, के तहत नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त होने वाली राशि या राशि से। बशर्ते, उक्त राशि या राशि कंपनी को पूरी तरह से चुकाने के लिए अपर्याप्त होने की स्थिति में, कंपनी के कारण बकाया राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा इस तरह से किया जाएगा जैसा कि कंपनी अपने विवेकाधिकार में कर सकती है इस समझौते के तहत कुछ भी बताए जाने के बावजूद उधारकर्ता द्वारा निर्णय लिया जाएगा और भुगतान तदनुसार किया जाएगा। उधारकर्ता एतद्द्वारा कंपनी को अपने नियोक्ता से सीधे संवाद करने और उक्त राशि प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

11. सुरक्षा:

a) कंपनी द्वारा उधारकर्ता को ऋण सुविधा प्रदान करने या देने के लिए सहमत होने पर, उधारकर्ता एतद्द्वारा कंपनी के पक्ष में संपत्ति पर अनन्य प्रथम शुल्क (नीचे अनुसूची में उल्लिखित) बनाने के लिए सहमत है, जिसमें ऐसी सुरक्षा के पक्ष में बनाई गई है कंपनी कंपनी की संतुष्टि के लिए, सभी ब्याज, परिसमाप्त क्षतियों, लागतों, शुल्कों और खर्चों और अन्य सभी धन, जो भी देय और देय हो या जो इसके बाद उधारकर्ता द्वारा कंपनी को देय हो, के साथ ऋण राशि सुरक्षित करेगी, चाहे इसके तहत समझौता या अन्यथा ("उक्त बकाया")।

b) उधारकर्ता सभी दस्तावेजों, विलेखों और लेखों और ऐसी अन्य प्रतिभूतियों को निष्पादित करेगा जो कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकती हैं, जिसमें कंपनी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी शामिल है। इसके अलावा, जहां संपत्ति के संबंध में किसी भी सुरक्षा को किसी भी कानून के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है, उधारकर्ता को सुरक्षा के निर्माण की तारीख से 10 दिनों के भीतर उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकारी के साथ पंजीकृत होना चाहिए और जमा करना होगा कंपनी को मूल सुरक्षा दस्तावेज। इसके अलावा, उधारकर्ता कंपनी को समय-समय पर निष्पादित और/या कंपनी को वितरित करेगा, जैसा कि कंपनी द्वारा आवश्यक है, ऐसे दस्तावेज, प्रारूप में या कंपनी द्वारा निर्धारित अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उधारकर्ता द्वारा बनाई गई सुरक्षा और / या डिमांड प्रॉमिसरी नोट वैध और विद्यमान रहता है।

c) यह सहमति हुई है कि इस तथ्य के बावजूद कि ऋण सुविधा समय-समय पर कम या समाप्त हो सकती है, मांग वचन पत्र सहित प्रस्तुत सभी सुरक्षा कंपनी के लिए एक सतत सुरक्षा रहेगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी और;

i. उधारकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भुगतान या ऋणी द्वारा खातों के किसी भी निपटान द्वारा छुट्टी नहीं दी जाएगी और;

ii. इसके अतिरिक्त होगा और किसी भी अन्य सुरक्षा के अवमानना में नहीं होगा जो कंपनी किसी भी समय देय राशि के संबंध में धारण कर सकती है;

iii. कंपनी को तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कि सभी देय राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है और कंपनी द्वारा प्रतिभूतियां स्पष्ट रूप से जारी नहीं कर दी जाती हैं;

iv. उधारकर्ता ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा बनाने और/या बनाने का वचन देता है, जिसकी कंपनी को समय-समय पर उक्त देय राशि को सुरक्षित करने की आवश्यकता हो सकती है। उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता अतिरिक्त सुरक्षा (a) सृजित करेगा यदि देय राशि प्रतिभूति के बाजार मूल्य से अधिक हो या अन्यथा कंपनी की मार्जिन आवश्यकताओं के अनुसार हो; और (b) किसी भी सुरक्षा के शीर्षक पर कंपनी के लिए उपलब्ध किसी भी सुरक्षा के विनाश या क्षति या मूल्यह्रास या गिरावट की स्थिति में, कंपनी की राय में अस्पष्ट, अप्राप्य या बोझिल होने या सुरक्षा के मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में किसी भी रूप में।

d) किसी भी अन्य दस्तावेज में बताए गए कंपनी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस समझौते के अनुच्छेद 13 के तहत निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने पर या स्वीकृति पत्र की शर्तों के उल्लंघन के मामले में, कंपनी के पास पूर्ण विवेक होगा समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय संपूर्ण राशि के लिए परिसमापन और उचित करने के लिए, उधारकर्ता द्वारा दी गई किसी भी सुरक्षा को, किसी भी क्रम में, जैसा कि वह उचित समझ सकता है।

e) कंपनी किसी भी समय इस समझौते के अनुच्छेद 13 के तहत निर्दिष्ट डिफ़ॉल्ट की किसी भी घटना के होने पर या स्वीकृति पत्र की शर्तों के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई कर सकती है और किसी भी आदेश में उधारकर्ता या प्रत्याभूतिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जैसा कि वह उचित समझे।

f) सुरक्षा के प्रवर्तन की स्थिति में, कंपनी संपत्ति के मूल्य में किसी भी कमी के लिए प्राप्त या उत्तरदायी राशि में किसी भी हानि या कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। इस तरह की बिक्री कंपनी द्वारा उधारकर्ता के प्रति किसी भी जवाबदेही के बिना की जाएगी और कंपनी द्वारा अधिकारों के प्रयोग / गैर-प्रयोग के कारण संपत्ति के मूल्य में हानि / क्षति / कमी के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी और उधारकर्ता हकदार नहीं होगा कंपनी के खिलाफ किसी भी दावे को इस आधार पर उठाने के लिए कि एक उच्च मूल्य प्राप्त हो सकता है या होना चाहिए या इस समझौते के तहत शेष बकाया राशि के लिए अपनी देयता पर विवाद करना चाहिए। उधारकर्ता ने कंपनी के पक्ष में ऋण की राशि और उस पर ब्याज जो कंपनी द्वारा लागू किया जा सकता है, के लिए सुरक्षा के रूप में एक मांग वचन पत्र भी निष्पादित किया है।

g) छ) संपत्ति पर शुल्क तब तक प्रभावी और लागू रहेगा जब तक कि इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा सभी राशियों का भुगतान नहीं कर दिया जाता है या उधारकर्ता द्वारा कंपनी को किसी अन्य समझौते के तहत ब्याज, दंड शुल्क लागत, शुल्क और देय सभी राशियां शामिल हो जाती हैं। और यहां की शर्तों के अनुसार देय है और जब तक कंपनी यहां बनाई गई सुरक्षा का निर्वहन करने वाला प्रमाण पत्र जारी नहीं करती है।

h) कंपनी के पक्ष में सृजित/बनाई जाने वाली प्रतिभूति या गिरवी मृत्यु, दिवाला, लेनदारों के साथ व्यवस्था, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा) या किसी विलय या समामेलन से प्रभावित, क्षीण या उन्मुक्त नहीं होगी। उधारकर्ता के पुनर्निर्माण, प्रबंधन, विघटन या राष्ट्रीयकरण (जैसा भी मामला हो) का अधिग्रहण।

i) उधारकर्ता सहमत है और वचन देता है कि सुरक्षा, प्रत्याभूति या किसी अन्य सुरक्षा के रूप में प्रस्तावित संपत्ति के बावजूद; वे इस समझौते के तहत कंपनी को देय सभी राशियों के भुगतान के लिए हमेशा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे, जो कि कंपनी के लिए उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के बावजूद उनके, उनकी संपत्ति और संपत्तियों के खिलाफ लागू की जा सकती हैं।

j) जहां उधारकर्ता एक कंपनी है, उधारकर्ता सहमत होता है और वचन देता है कि बंधक के बावजूद उधारकर्ता/परिसंपत्ति का मालिक प्रतिभूतियों के संशोधनों सहित प्रभार बनाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास फॉर्म CHG-1 दाखिल करेगा।

k) उधारकर्ता सहमत है और वचन देता है कि कंपनी के साथ किए गए किसी भी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता के पास कोई दायित्व होने की स्थिति में, कंपनी के पास अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर एक सतत प्रभार होगा। इसके अलावा, उधारकर्ता भी सहमत है और वचन देता है कि कंपनी के पास उधारकर्ता द्वारा कंपनी के साथ किए गए सभी मौजूदा समझौतों पर इस तरह की अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर अधिकार लागू करने का अधिकार और अधिकार जारी रहेगा।

l) प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय सभी और प्रत्येक राशि के देय और त्वरित पुनर्भुगतान की बिना शर्त गारंटी देता है और इस समझौते में उल्लिखित सभी शर्तों और शर्तों के उधारकर्ता द्वारा उचित प्रदर्शन और पालन की प्रत्याभूति देता है। प्रत्याभूतिकर्ता इस बात से सहमत है कि कंपनी द्वारा किसी भी राशि या किसी अन्य भोग के भुगतान के लिए समय देने के लिए कंपनी द्वारा प्रदान की गई प्रत्याभूति से उसे छुट्टी नहीं दी जाएगी या कंपनी द्वारा बंधक संपत्ति के खिलाफ अपने अधिकारों को लागू करने में विफलता, चूक या अक्षमता. प्रत्याभूतिकर्ता इस बात से सहमत है कि कंपनी और खुद के बीच, प्रत्याभूतिकर्ता उधारकर्ता के साथ संयुक्त रूप से प्रमुख देनदार है और इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133, 134, 139 और 141 या उसके किसी अन्य प्रावधान के तहत जमानत पर दिए गए किसी भी अधिकार को छोड़ देता है। कंपनी को अपने विवेक से किसी भी आदेश में उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है और प्रत्याभूतिकर्ता इसके द्वारा सहमत है कि वह किसी भी आधार पर कंपनी द्वारा किए गए दावे पर सवाल नहीं उठाएगा।

m) उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता सहमत हैं और वचन देते हैं कि कंपनी के साथ किए गए किसी भी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता या प्रत्याभूतिकर्ता की कोई बाध्यता होने की स्थिति में, कंपनी के पास अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर एक सतत प्रभार होगा। इसके अलावा, उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता भी सहमत हैं और वचन देते हैं कि कंपनी के पास उधारकर्ता या प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा कंपनी के साथ किए गए सभी मौजूदा समझौतों पर इस तरह की अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर अधिकार लागू करने का अधिकार और अधिकार जारी रहेगा।

12. ऋण में परिवर्तन और पुनर्निर्धारण:

a) कंपनी अपने विवेकाधिकार पर बिना किसी दायित्व के, इस तरह के नियमों और शर्तों पर इस तरह की आगे की अवधि के लिए सुविधा की समीक्षा और नवीनीकरण करने का अधिकार रखती है, जैसा कि वह उपयुक्त समझ सकती है।

b) कंपनी स्वयं या उधारकर्ता के अनुरोध पर, यदि वह ऐसा उचित समझे, तो उधारकर्ता की लिखित सहमति से किश्तों को इस तरह से और इस हद तक बदल सकती है या पुनर्निर्धारित कर सकती है, जिसके बाद चुकौती की जाएगी अनुसूची में कही गई किसी बात के होते हुए भी उक्त परिवर्तन और पुनर्निर्धारण के अनुसार उधारकर्ता द्वारा। उधारकर्ता संशोधित ढांचे के अनुसार पोस्ट डेटेड चेक/ECS या ACH मैंडेट प्रस्तुत करने सहित संशोधन की आवश्यकताओं का पालन करेगा।

13. डिफ़ॉल्ट की घटनाएं:

निम्नलिखित में से कोई भी घटना "डिफ़ॉल्ट की घटना" का गठन करेगी:-

a. यदि उधारकर्ता मूलधन या ब्याज के भुगतान में या कंपनी के प्रति उधारकर्ता के किसी दायित्व में कोई चूक करता है या यदि प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा कंपनी के प्रति अपने दायित्वों में कोई चूक होती है;
b. यदि परिसंपत्ति या उसके किसी भाग (चाहे वास्तविक या उचित रूप से प्रत्याशित) के मूल्य या बाजार मूल्य में कोई गिरावट, परिवर्तन, गिरावट है, जिसके कारण कंपनी के निर्णय में परिसंपत्ति मूल्य / चरित्र में असंतोषजनक हो जाती है;
c. यदि कंपनी की राय में, उधारकर्ता /प्रत्याभूतिकर्ता ने इस प्रकार प्रस्तावित संपत्ति से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया है जिसका परिसंपत्ति के मूल्यांकन पर प्रभाव या हानि है (निर्णय जिस पर कंपनी का पूर्ण विवेक होगा) जिसमें शामिल है लेकिन नहीं किसी भी मौजूदा शुल्क, विचलन, लंबित मुकदमेबाजी, अतिक्रमण, किसी भी तरह की बाधा आदि जैसी जानकारी तक सीमित है।
d. यदि संपत्ति का उधारकर्ता /मालिक कंपनी की लिखित सहमति के बिना किसी भी तरीके से गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचता है, उस पर भार डालता है या स्थानांतरित करता है या बेचने, स्थानांतरित करने, भारोत्तोलन करने का प्रयास करता है; या
e. यदि संपत्ति के उधारकर्ता /स्वामी के विरुद्ध कोई कुर्की, संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया;
f. यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता एक वेतनभोगी कर्मचारी है और किसी योजना का विकल्प चुनता है या सेवानिवृत्ति से पहले नौकरी से इस्तीफा देने या सेवानिवृत होने पर, या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से उधारकर्ता के रोजगार को समाप्त करने पर, या उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता किसी भी कारण से अपने नियोक्ता की सेवा से इस्तीफा दे रहा है या सेवानिवृत हो रहा है;
g. दिवाला, परिसमापन, स्वैच्छिक या अन्यथा, व्यापार में विफलता, दिवालिएपन के एक अधिनियम का कमीशन, उधारकर्ता के लेनदारों के लाभ के लिए सामान्य असाइनमेंट / संपत्ति के मालिक, या यदि उधारकर्ता / संपत्ति का मालिक किसी लेनदार को भुगतान निलंबित करता है या ऐसा करने की धमकी देना, दिवालिया होने पर या संपत्ति के ऋणी/स्वामी के खिलाफ कोई याचिका दायर करना या संपत्ति के उधारकर्ता/स्वामी के समापन के लिए कोई याचिका दायर करना और होने के 30 दिनों के भीतर वापस नहीं लिया जाना। स्वीकार किया;
h. यदि उधारकर्ता (एक कंपनी होने के नाते) कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन को छोड़कर, समामेलन या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से परिसमापन में चला जाता है;
i. यदि उधारकर्ता की पूरी संपत्ति या संपत्ति के किसी भी हिस्से के संबंध में एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है या यदि उधारकर्ता / प्रत्याभूतिकर्ता / संपत्ति के मालिक की संपत्ति पर कोई कुर्की या रोक लगाई गई है;
j. यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता अपना कारोबार बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है;
k. यदि यह कंपनी द्वारा नियुक्त लेखाकार या लेखाकारों की एक फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाता है (जिसका कंपनी हकदार है और एतद्द्वारा किसी भी समय ऐसा करने के लिए अधिकृत है) कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता की देनदारियां उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता की संपत्ति या उधारकर्ता की संपत्ति से अधिक हैं /प्रत्याभूतिकर्ता घाटे में कारोबार कर रहा है;
l. यदि कोई ऐसी परिस्थिति या घटना घटती है जो प्रतिकूल या क्षति या संकट में डालती है या जोखिम में डालती है या कंपनी के हित या उसके किसी भाग के उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा दी गई किसी भी सुरक्षा के पूर्वाग्रह, क्षीण, संकट, मूल्यह्रास या खतरे में डालने की संभावना है;
m. यदि कोई ऐसी परिस्थिति या घटना होती है जो किसी भी तरह से प्रतिकूल या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है या होने की संभावना है, तो उधारकर्ता की ऋण या उसके हिस्से को चुकाने की क्षमता;
n. कोई भी PDCs/ACH या ECS मैंडेट जो उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा कंपनी को दिया या दिया जाना है, इसके नियमों और शर्तों को प्रस्तुत करने पर किसी भी कारण से डिलीवर/सम्मानित/एन-कैश नहीं किया जाता है; या किसी भी कारण से किसी भी PDC के भुगतान को रोकने के लिए उधारकर्ता द्वारा कोई निर्देश दिया जा रहा है;
o. यदि ऋण या उसके किसी भाग का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे उधारकर्ता द्वारा लागू किया गया है और कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया है;
p. कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के गठन या प्रबंधन में या उधारकर्ता के पुनर्गठन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर या कंपनी के विश्वास का आनंद लेने के लिए उधारकर्ता के प्रबंधन पर;
q. उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता किसी अन्य ऋण/सुविधा/किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी समझौते का उल्लंघन कर रहा है;
r. यदि ऋण के अनुदान के बाद ऋणी (जब पति या पत्नी) तलाकशुदा है/हैं या उसके लिए या अन्यथा किसी पारिवारिक न्यायालय में कोई कार्यवाही की

जाती है या शुरू की जाती है या शुरू की जाती है;

s. उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता की मृत्यु/पागलपन या किसी अन्य कानूनी अक्षमता पर;

t. यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के लिए इस समझौते या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ के तहत अपने किसी भी दायित्व को निभाने के लिए गैरकानूनी हो जाता है या यह किसी अन्य व्यक्ति (उधारकर्ता सहित) के लिए गैरकानूनी हो जाता है, जिसकी संपत्ति सुरक्षा को अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए बनाया जाना है। इस समझौते के अंर्तगत;

u. यह समझौता या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज, चाहे उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया हो, अप्रभावी या गैरकानूनी हो जाता है या शून्य घोषित कर दिया जाता है या उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से अप्रभावी, गैरकानूनी या शून्य होने का आरोप लगाया जाता है;

v. उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी के साथ किसी अन्य समझौते/अनुबंधों के तहत कोई चूक करता है जिसमें उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता या तो एक उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता;

w. प्रत्याभूतिकर्ता/यों द्वारा प्रदान की गई प्रत्याभूति में कोई दोष/दुर्भाग्य, जो प्रत्याभूति को अप्रभावी/निष्क्रिय कर देता है;

x. उधारकर्ता इस समझौते या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ को अस्वीकार करता है या इस समझौते या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ को अस्वीकार करने के इरादे का सबूत देता है;

y. उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता; की स्थिति निवासी से अनिवासी में बदल जाती है

z. कोई भी घटना या घटनाओं की श्रृंखला होती है, जो कंपनी की राय में, उधारकर्ता / प्रत्याभूतिकर्ता की चुकौती क्षमता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है;

aa. कंपनी को प्रदान किए गए तथ्यों या सूचनाओं का कोई भी असत्य, झूठा प्रतिनिधित्व या गलत प्रतिनिधित्व या इस समझौते में सहमत अनुबंधों का पालन न करना;

bb. यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता पर किसी न्यायालय या सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किसी अपराध के लिए आरोप या दोषसिद्ध किया जाता है;

cc. यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी को पूर्व लिखित सूचना के बिना अपना निवास स्थान या व्यवसाय/रोजगार/पेशे का स्थान बदलता है या निदेशकों/सदस्यों आदि में परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में कंपनी को सूचित करने में विफल रहता है;

dd. यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता इस या कंपनी या उसके सहयोगियों के साथ किए गए किसी अन्य समझौते के तहत किसी भी शर्त पर विवाद करता है;

ee. यदि उधारकर्ता समय-समय पर कानून के तहत दृष्टिबंधक के संबंध में किसी भी कर, आयात शुल्क या अन्य अधिरोपण या प्रभारों/आउटगोइंग का भुगतान करने या किसी अन्य कानून, विनियम, औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रहता है;

ff. प्राकृतिक आपदाओं/भगवान के कृत्यों/अप्रत्याशित घटनाओं/बाजार की अनिवार्यताओं के होने की स्थिति में (निर्णय जिस पर कंपनी का पूर्ण विवेक होगा);

gg. इस समझौते या मंजूरी की शर्तों के तहत ऋण के संबंध में किसी भी सकारात्मक या नकारात्मक वाचा, अभ्यावेदन, वारंटी, किसी भी नियम या शर्त का पालन करने में उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा उल्लंघन, या चूक, या अप्राप्ति।

hh. उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति को अपने उपयोग के लिए उपयोग करने में विफल रहने पर और कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उसे किराए पर देना।

ii. कर्ज की पहली क़िस्त के वितरण की तारीख से 18 महीने के भीतर घर का निर्माण पूरा करने में कर्जदार के विफल रहने पर।

यदि कोई चूक की घटना या कोई घटना जो चूक की घटना का गठन करती है, तो उधारकर्ता तुरंत कंपनी को लिखित रूप में नोटिस देगा जिसमें ऐसी चूक की घटना की घटना को निर्दिष्ट किया जाएगा। उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता भी कंपनी को तुरंत सूचित करेंगे अगर और जब कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत समापन की कोई वैधानिक सूचना या उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता के खिलाफ दायर/शुरू करने के लिए किसी भी मुकदमे या कानूनी प्रक्रिया को उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या उपरोक्त में से कोई घटना/परिस्थिति हो गई है/होगी, कंपनी का निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

ऊपर वर्णित एक या अधिक ऐसी घटनाओं के होने पर, कंपनी के विकल्प पर, उसके दूसरे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

- कंपनी उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता को 7 दिनों का नोटिस देकर मूलधन, उपार्जित ब्याज और इस समझौते के तहत उधारकर्ता/गारंटर द्वारा देय अन्य सभी राशियों और/या किसी अन्य समझौते, उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता और कंपनी के बीच मौजूद दस्तावेजों की घोषणा कर सकती है, ऐसी घोषणा पर, वह तुरंत देय और देय हो जाएगा; साथ ही अन्य सभी शुल्क और देय राशि तुरंत देय हो जाएगी,
- उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, कंपनी अपने पक्ष में सृजित सुरक्षा को लागू करने की हकदार होगी जैसा कि कानून में अनुमत है या उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा कंपनी पर किसी अधिकार या शक्ति का प्रयोग करते हुए।
- कंपनी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करके, जहां कहीं भी लागू हो, सुरक्षा का कब्जा लेने, निपटने और प्रबंधन/अलगाव करने की भी हकदार होगी;

यदि प्रतिभूति की वसूली पर कोई कमी होती है, तो उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता को प्राप्त मूल्य और कंपनी को बकाया और देय राशि के बीच के अंतर का भुगतान तुरंत करना होगा। यदि सुरक्षा की वसूली पर अधिशेष है, तो कंपनी, उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता र्ताके खिलाफ ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ के अधिकार के अधीन, शेष राशि, यदि कोई हो, उधारकर्ता को वापस कर देगी।

कंपनी के पास इस संबंध में अप्राप्त राशि की वसूली के लिए उधारकर्ता और/या प्रत्याभूतिकर्ता को उत्तरदायी ठहराने का अधिकार होगा। हालांकि, कंपनी के

पास उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता के अप्रप्ति/विलंब को माफ करने का विवेकाधिकार है, बशर्ते कंपनी को देय राशि को अनुसूची में उल्लिखित अप्रप्ति दर पर गणना किए गए ब्याज के साथ चुकाया जाए, डिफॉल्ट की तारीख से शुरू होकर प्रेषण की वास्तविक तारीख तक की अवधि के लिए गणना की जाती है।

यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा जाता है कि अप्रप्ति की किसी भी घटना के वाकया कंपनी द्वारा इस समझौते के तहत उधारकर्ता और/या प्रत्याभूतिकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से देय किसी भी राशि के दावे को लागू करने के लिए एक शर्त नहीं होगी।

इस समझौते में कहीं और कुछ भी बताए जाने के बावजूद, इस तरह की समाप्ति के बाद ऋण की निरंतरता, कंपनी के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर होगी और उधारकर्ता का बकाया कंपनी को देय होगा, जैसा कि कंपनी द्वारा प्रासंगिक समय पर तय किया गया है। आगे इस समझौते में कही गई किसी बात के होते हुए भी, कंपनी को किसी भी समय, अपने विवेकाधिकार पर और बिना कोई कारण बताए, सभी बकाया राशि के पुनर्भुगतान की मांग करने का अधिकार होगा और उधारकर्ता और/या प्रत्याभूतिकर्ता से उधारकर्ता की बकाया राशि को चुकाने के लिए कहा जाएगा और तदुपरांत, उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता, तथाकथित बुलाए जाने पर, तुरंत, बिना किसी देरी के कंपनी को उधारकर्ता के पूरे बकाया का भुगतान करें। उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा बकाया देय राशि अंतिम होगी और उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

14. अनुबंध के तहत कंपनी के अधिकार:

a) शर्तों के किसी भी उल्लंघन के मामले में या कंपनी के विकल्प पर यहां पहले बताई गई किसी भी घटना के मामले में, और उधारकर्ता को किसी भी मांग या नोटिस की आवश्यकता के बिना, जिनमें से सभी को एतद्द्वारा उधारकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से माफ कर दिया जाता है, और इसमें निहित कुछ भी या कंपनी के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले किसी भी सुरक्षा दस्तावेज के होते हुए भी, उक्त देय राशि और कंपनी के प्रति उधारकर्ता के सभी दायित्व, परिपक्वता की किसी भी सहमत तिथि पर ध्यान दिए बिना तुरंत बकाया और देय हो जाएंगे, और कंपनी यहां प्रदान किए गए अपने अधिकारों और सुरक्षा को लागू करने की हकदार होगी। कंपनी संपत्ति बेचने/सुरक्षा को लागू करने के उद्देश्य से कंपनी के पक्ष में उधारकर्ता/किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित/निष्पादित किए जाने वाले किसी भी दस्तावेज़ का उपयोग कर सकती है।

b) कंपनी बिना कोई कारण बताए अपने स्वविवेक से और उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता को डाक से या दी गई लिखित सूचना पर दिए गए ऋण को रद्द कर सकती है और उसके पुनर्भुगतान की मांग कर सकती है। और उसके बाद उक्त ऋण, सभी देय और उस पर देय ब्याज और सभी देनदारियों और कंपनी के तहत ऋणी और प्रत्याभूतिकर्ता के अन्य दायित्वों सहित ब्याज और अन्य शुल्क उधारकर्ता द्वारा तुरंत कंपनी को बकाया और देय हो जाएंगे।

c) इस समझौते द्वारा कंपनी को दिए गए अधिकार, शक्तियां और उपचार किसी अन्य सुरक्षा, अधिनियम या कानून के शासन के आधार पर कंपनी को दिए गए सभी अधिकारों, शक्तियों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे।

d) ऊपर निर्दिष्ट अधिकारों के अलावा, कंपनी उधारकर्ता की कीमत पर नियुक्त करने की भी हकदार होगी: (i) तकनीकी, प्रबंधन या किसी अन्य परामर्श व्यवसाय में लगे किसी व्यक्ति को उधारकर्ता के परिसर, कारखानों, संयंत्रों, मशीनरी और इकाइयों सहित उधारकर्ता और/या परिसंपत्तियों के कामकाज का निरीक्षण और जांच करने और कंपनी को रिपोर्ट करने के लिए; (ii) कोई भी चार्टर्ड एकाउंटेंट / लागत लेखाकार किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए लेखा परीक्षक के रूप में या उधारकर्ता द्वारा अपने काम करने के लिए या समवर्ती या आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में अपनाई गई वित्तीय या लागत लेखा प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए या उधारकर्ता की विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए

e) समझौते के अनुसार किसी भी निलंबन या सुविधा की समाप्ति के बावजूद, कंपनी और उसके हितों के लाभ या संरक्षण के लिए समझौते के सभी प्रावधान और इस समझौते के तहत कंपनी के सभी अधिकार और उपचार पूरी तरह से लागू और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कंपनी को उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता का पूरा बकाया नहीं मिल जाता।

f) कंपनी के पास उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि बकाया की किसी भी घटना के घटित होने पर, उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता, उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा ऋण चुकाए बिना किसी भी अन्य ऋण (कार्यशील पूंजी सुविधाओं सहित) का भुगतान नहीं करेगा।

g) कंपनी, उधारकर्ता के एकमात्र जोखिम और लागत पर, एक या एक से अधिक व्यक्ति को उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता से देय राशि एकत्र करने और/या उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए हकदार होगी और कंपनी (ऐसे उद्देश्यों के लिए) ऐसे व्यक्ति को उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता, सुरक्षा और/या संपत्ति से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि कंपनी उचित समझे। कंपनी ऐसे व्यक्ति को सभी कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे जुड़ी चीजों को संपादन करने और निष्पादित करने का अधिकार और प्राधिकार भी सौंप सकती है, या उसके आनुषंगिक, जैसा कि कंपनी उचित समझे।

h) कंपनी किसी भी तरह से किसी भी तरह से उत्तरदायी/जिम्मेदार नहीं होगी, किसी भी लागू कानूनों के तहत किसी भी तरह के विपरीत होने के बावजूद, किसी भी खाते में उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा प्रदान की गई संपत्ति/अन्य संपत्ति के किसी भी नुकसान, गिरावट या क्षति के लिए: जबकि वे कंपनी के कब्जे में हैं या कंपनी के लिए उपलब्ध किसी भी अधिकार और उपायों के प्रयोग या गैर-व्यायाम के कारण जैसा कि पूर्वोक्त है।

i) यदि संपत्ति का उपयोग ऋण आवेदन या इस समझौते में बताए गए इच्छित उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है फिर पूर्वभुगतान सहित किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा कि कंपनी को अपने विवेकाधिकार पर आवश्यकता हो सकती है, कंपनी उच्च या वाणिज्यिक ब्याज दर वसूलने की हकदार होगी।

j) बकाया की कोई घटना होने पर: (a) कंपनी हकदार होगी और उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ताएतद्द्वारा कंपनी को उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता से संपर्क करने, संपत्ति और/या कार्य स्थल पर जाने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है, और उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के नियोक्ताओं को नियोक्ता द्वारा उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता को देय वेतन/मजदूरी से कटौती करने की आवश्यकता है, और उसे सीधे कंपनी को तब तक प्रेषित करना जब तक कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता से कंपनी को बकाया सभी उधारकर्ता की बकाया राशि पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है। कटौतियां इतनी राशि और उस हद तक होंगी, जैसा कि कंपनी उधारकर्ता के नियोक्ताओं को सूचित (और निर्देश) दे सकती है। उधारकर्ता ऐसी कटौतियों पर कोई

आपत्ति नहीं जताएगा/उठाएगा। उधारकर्ता और/या उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के नियोक्ता को शासित करने वाला कोई भी कानून या अनुबंध किसी भी तरह से कंपनी के उपरोक्त अधिकार को उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के नियोक्ता द्वारा कंपनी को इस तरह की कटौती और भुगतान की आवश्यकता को रोकता या प्रतिबंधित नहीं करता है। बशर्ते कि इस घटना में उक्त राशियाँ इतनी कटौती कंपनी को बकाया उधारकर्ता की देय राशि को पूरी तरह चुकाने के लिए अपर्याप्त है, कंपनी को देय बकाया राशि का भुगतान उधारकर्ता और/या प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा इस तरह से किया जाएगा जैसा कि कंपनी अपने विवेकाधिकार से निर्णय ले सकती है और भुगतान उधारकर्ता और/या प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा तदनुसार किया जाएगा।

k) यदि उधारकर्ता के ऋण और/या अन्य वित्तीय लेनदेन के संबंध में कोई संदेह, गलत काम या धोखाधड़ी गतिविधि का संकेत है, तो कंपनी अपने कर्मचारी(कर्मचारियों), एजेंट के माध्यम से स्वयं ऑडिट कराने की हकदार होगी। (ओं) और/या उधारकर्ता की लागत और व्यय पर कंपनी की पसंद के बाहरी लेखा परीक्षकों/लेखाकारों के माध्यम से एक बाहरी ऑडिट। उधारकर्ता कंपनी के कर्मचारियों, एजेंटों, अकाउंटेंट/ऑडिटर को अपने कार्यालय/परिसर और उनके सभी रिकॉर्ड तक पहुंच की अनुमति देगा और उन्हें जो भी जानकारी/रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी उसे प्रस्तुत करेगा। उक्त लेखापरीक्षा का उद्देश्य. कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों, एजेंटों और/या बाहरी लेखा परीक्षकों/लेखाकारों से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर या उपलब्ध प्रासंगिक सामग्री/अभिलेखों के आधार पर कंपनी और उसकी स्वयं की जांच/मूल्यांकन उस स्थिति में जहां प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट अनिर्णायक रहती है या उधारकर्ता द्वारा असहयोग के कारण विलंबित होती है, कंपनी ऋण खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्यथा के रूप में समाप्त कर देगी। कंपनी ऋण खाते की स्थिति को धोखाधड़ी या अन्यथा मानने के लिए आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

l) ऐसी स्थिति में जब उधारकर्ता के पास एक से अधिक ऋण खाते हों या उधारकर्ता की समूह कंपनी के पास कंपनी के साथ ऋण खाते हों, यदि उधारकर्ता के एक ऋण खाते को कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के रूप में पहचाना जाता है, तो कंपनी को दोषी ठहराया जाएगा। उधारकर्ता/उसकी समूह कंपनी(कंपनियों) के अन्य खातों के संबंध में उपरोक्त ऑडिट की जांच/संचालन करने का हकदार है, जिसमें उधारकर्ता के एक या अधिक प्रमोटर/पूर्णकालिक निदेशक आम हैं।

m) कंपनी उधारकर्ता/उसकी समूह कंपनियों के ऋण खातों में धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट उचित कानून प्रवर्तन एजेंसी जैसे पुलिस, अन्य संबंधित अधिकारियों और/या आरबीआई को करने की भी हकदार होगी।

15. विनियोग:

कंपनी के पास ऋण समझौते के तहत देय और देय किसी भी भुगतान को उचित करने का अधिकार होगा और उधारकर्ता या प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा किसी भी क्रम में बकाया राशि के लिए कंपनी को निम्नलिखित के लिए उचित लगता है:

i. मूलधन का चुकौती बकाया।
ii. अतिरिक्त ब्याज सहित ब्याज, यदि कोई हो।
iii. दंडात्मक ब्याज, यदि कोई हो।
iv. लागत, शुल्क, परिसमाप्त क्षति, व्यय और अन्य धन पर ब्याज।
v. पूर्वभुगतान पर प्रीमियम, यदि लागू हो
vi. लागत, शुल्क, खर्च और अन्य पैसे

इसमें पार्टियों के बीच विशेष रूप से सहमति है कि यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता ने इस समझौते के अलावा, पहले से ही या भविष्य में कंपनी के साथ उनके नाम पर या उनके नामितों या प्रतिनिधियों के नाम पर कोई अन्य समझौता किया है, या तो एक उधारकर्ता/किराए पर/पट्टेदार/प्रत्याभूतिकर्ता के रूप में।, फिर:

a) इस समझौते के तहत उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता या उनके नामांकित, प्रतिनिधियों द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को केवल "खाते में भुगतान" के रूप में माना जाएगा और कंपनी द्वारा अपने विवेकाधिकार पर उधारकर्ता, उसके/उनके नामितों या कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए किसी भी समझौते के खाते में विनियोजित किया जाएगा, चाहे अपने कार्यकाल के दौरान या उसके बाद, जैसा कि कंपनी उचित समझती है, भले ही उधारकर्ता, उसके भागीदार, नामित व्यक्ति या प्रतिनिधि इसके विपरीत कोई विशिष्ट निर्देश जारी करते हों।

b) कंपनी, कंपनी के साथ उनके द्वारा किए गए किसी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता या उनके/उनके नामितों, प्रतिनिधियों द्वारा बकाया देय राशि की वसूली के लिए अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को कब्जे में लेने/फिर से अधिकार प्राप्त करने/बेचने के लिए स्वतंत्र होगी, इस समझौते के तहत देय और देय सभी राशियों का भुगतान और निपटान करने और इस तरह के समझौते के तहत निहित कंपनी के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

   कंपनी के साथ किसी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता या संपत्ति के मालिक जैसा भी मामला हो, द्वारा सृजित प्रभार निरंतर रहेगा और कंपनी पूर्ण किए गए समझौतों पर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को वापस लेने और संपत्तियों को वापस लेने और बेचने के लिए स्वतंत्र होगी, अदालतों के हस्तक्षेप के बिना, इस समझौते के तहत उधारकर्ता या प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा बकाया देय राशि की वसूली के लिए किसी अन्य समझौते के तहत उधारकर्ता को दिया गया।

c) कंपनी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा इस बात से सहमत है और सहमति देता है कि इस समझौते के तहत प्रदान की गई सुरक्षा किसी भी अन्य समझौते के तहत कंपनी के साथ सभी बकाया उधारों/प्रत्याभूति, यदि कोई हो, के खिलाफ एक सतत सुरक्षा के रूप में कार्य करेगी और कंपनी के पास इस ऋण समझौते के तहत प्रदान की गई सुरक्षा को समाप्त करने और किसी अन्य ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता / प्रत्याभूतिकर्ता के ऐसे सभी बकाया का निपटान करने का पूर्ण विवेक होगा, इस तथ्य के बावजूद कि इस समझौते के तहत अप्राप्ति की कोई घटना नहीं हो सकती है।

16. उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता का प्रतिनिधित्व और वारंटी और अनुबंध:

उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा निम्न प्रकार से वारंट और अनुबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

a. यह कि उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता (i) प्रमुख हैं और स्वस्थ दिमाग के हैं (जहां उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता एक व्यक्ति है); (ii) लागू कानून के तहत विधिवत गठित और निगमित निकाय है (जहां उधारकर्ता एक कंपनी/सीमित देयता भागीदारी संस्था/अन्य निकाय कॉर्पोरेट है); (iii) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अर्थ के भीतर एक साझेदारी संस्था है जिसमें अनुसूची में वर्णित व्यक्तियों को भागीदार के रूप में शामिल किया गया है (जहां एक/उधारकर्ता एक साझेदारी संस्था है); और अनुबंध करने और प्रवेश करने के लिए सक्षम है और इस समझौते में प्रवेश करने और निष्पादित करने और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कानूनी क्षमता रखता है।

b. यह कि उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता/इस अनुबंध को क्रियान्वित करने वाला अन्य व्यक्ति और उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता की ओर से सभी दस्तावेज ऐसा करने के हकदार हैं और उन्हें इस समझौते और सभी दस्तावेजों और लेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है। इस समझौते का निष्पादन किसी भी कानून/संवैधानिक दस्तावेज, यदि कोई हो या किसी अन्य दस्तावेज के साथ संघर्ष में नहीं है जो उधारकर्ता औरप्रत्याभूतिकर्ता पर बाध्यकारी है। उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता किसी भी कानून, अधिनियम, निर्णय, न्यायिक निर्णय, निर्णय, अनुबंध या अन्यथा के तहत इस समझौते में प्रदान किए गए तरीके से दायित्वों को निष्पादित करने और पूरा करने से प्रतिबंधित या रोका नहीं गया है। निष्पादन के बाद, यह अनुबंध उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता की एक वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता होगी जो इस समझौते के संदर्भ में उनके खिलाफ लागू होगी। उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता ने इस समझौते के निष्पादन और प्रदर्शन के लिए सभी सहमति प्राप्त कर ली है और इस समझौते, संपार्श्विक दस्तावेजों और गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में आवश्यक सभी प्राधिकरणों, अनुमोदनों, सहमति, लाइसेंसों और अनुमतियों को पूर्ण बल और प्रभाव देने के लिए वह सब किया जो आवश्यक है।

c. कि ऋण का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाएगा जैसा कि उधारकर्ता द्वारा लिखित अनुसूची में कहा गया है, न कि सट्टा / असामाजिक / अवैध उद्देश्य सहित किसी अन्य उद्देश्य के लिए। और उधारकर्ता कंपनी द्वारा मांग पर संवितरण के उपयोग के लिए साक्ष्य प्रदान करेगा।

d. यह कि उधारकर्ता भवन योजना, प्रारंभ प्रमाण पत्र और संपत्ति से संबंधित अन्य सभी आवश्यक अनुमतियों से संतुष्ट है और निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार है।

e. यह कि उधारकर्ता ऋण आवेदन में बताए अनुसार खरीद/निर्माण को पूरा करेगा और कंपनी को जमा करेगा, संबंधित नगर निगम या नगर पालिका या प्राधिकरण द्वारा जारी एक उचित पूर्णता प्रमाण पत्र।

f. यह सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि संपत्ति का निर्माण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार है और उसमें निर्धारित सुरक्षा मानकों को भी पूरा करता है।

g. कि उधारकर्ता किसी भी घटना या परिस्थितियों को तुरंत सूचित करेगा जो संपत्ति के निर्माण / खरीद के प्रारंभ या पूरा होने में देरी के कारण के रूप में काम कर सकता है।

h. संपत्ति के संबंध में भुगतान/देय योगदान की राशि, साथ ही ऋण के लिए किसी भी सुरक्षा सहित सभी राशि वैध स्रोतों से है/होगी और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध नहीं है/होगी।

i. कि उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता स्वेच्छाचारी चूककर्ता नहीं हैं।

j. कि उधार निर्धारित और अनुमोदित उधार सीमा के भीतर है तथा इस समझौते के तहत ऐसी अनुपस्थिति, दुर्बलता या अनियमितता के बावजूद उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की ओर से उधार लेने की शक्तियों की अनुपस्थिति या दुर्बलता या उसके प्रयोग में कोई अनियमितता, उधारकर्ता के खिलाफ कंपनी के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

k. यह कि गिरवी रखी गई संपत्ति उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता और/या संपत्ति के मालिक द्वारा उसके पूर्ण स्वामी के रूप में धारित है और किसी भी क्षमता में ट्रस्टी या अभिभावक या किसी अन्य प्रत्ययी क्षमता में नहीं है और यह कि संपत्ति शीर्षक में सभी बाधाओं और दोषों से मुक्त है और संपत्ति के संबंध में आगे प्रतिनिधित्व और वारंट है कि:

   - संपत्ति का उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक, जब्त और कब्जा कर लिया गया है या अन्यथा अच्छी तरह से और पर्याप्त रूप से भूमि और अन्य अचल संपत्तियों के हकदार हैं अधिक विशेष रूप से नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सभी भवनों और संरचनाओं के साथ मिलकर लिखा गया है;
   - संपत्ति को विशेष रूप से कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेख जमा करके बंधक के रूप में गिरवी रखा जाएगा, जिसमें निर्मित क्षेत्र पर शुल्क शामिल है जिसके लिए भूमि के निर्माण के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है;
   - शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधान अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति पर लागू नहीं होते हैं। (या)
   - संपत्ति के उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक ने अनुमति के लिए आवेदन किया है/उसमें निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक भूमि को बनाए रखने के लिए शहरी भूमि (सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत अनुमति प्राप्त की है।
   - संपत्ति सभी भारों या शुल्कों (वैधानिक या अन्यथा), दावों और मांगों से मुक्त है और यह कि वही या उनमें से कोई या उसका कोई भाग किसी भी न्यायालय या अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकरण या मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा जारी किसी भी ग्रहणाधिकार / छुटकारे, कुर्की या किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन नहीं है और यह कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/संपत्ति के मालिक ने उसके संबंध में कोई ट्रस्ट नहीं बनाया है और यह कि उक्त संपत्ति खरीद/अधिग्रहण/पट्टे की तारीख से संपत्ति के उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक के अनन्य निर्बाध और अबाधित कब्जे और आनंद में हैं और उक्त संपत्ति या उनमें से किसी या उसके किसी हिस्से के संबंध में उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/संपत्ति के मालिक के खिलाफ कोई प्रतिकूल दावा नहीं किया गया है और वे अधिग्रहण या अधिग्रहण के किसी नोटिस से प्रभावित नहीं होते हैं, और यह कि आयकर अधिनियम, 1961 या भारत में फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के तहत संपत्ति के उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित या शुरू नहीं की गई है और यह कि संपत्ति या उनमें से किसी या उसके किसी हिस्से के खिलाफ जारी या शुरू की गई कोई भी कुर्की लंबित नहीं है।

उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता संपत्ति के उधारकर्ता/मालिक के खिलाफ शुरू की गई किसी भी मुकदमेबाजी, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य कार्यवाही के बारे में कंपनी को तुरंत सूचित करेंगे।

- संपत्ति के उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक के पास उक्त संपत्ति का स्पष्ट, वैध और विपणन योग्य शीर्षक है और उसे किसी अधिनियम, विलेख, मामले या चीज़ या परिस्थिति से अवगत नहीं है, जो उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक को कंपनी के पक्ष में संपत्ति पर गिरवी और प्रभार के रूप में सुरक्षा पैदा करने से रोकता है और यदि आवश्यक हो तो उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक को हर समय, और जब भी कंपनी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, कंपनी की संतुष्टि के लिए संपत्ति के लिए एक स्पष्ट और विपणन योग्य शीर्षक तैयार करेगा।
- उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता ने सभी किराए, रॉयल्टी और सभी सार्वजनिक मांगों का भुगतान किया है, जिसमें भविष्य निधि बकाया, ग्रेच्युटी बकाया, कर्मचारी राज्य बीमा बकाया, आयकर, बिक्री कर, निगम कर और अन्य सभी कर शामिल हैं और भारत सरकार को या किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय राजस्व और वर्तमान में इस तरह के बकाया, किराए, रॉयल्टी, कर और राजस्व देय और बकाया का कोई बकाया नहीं है और यह कि किसी भी देय कर और अन्य सरकारी राजस्व के संबंध में संपत्ति के उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक पर कोई कुर्की या वारंट जारी नहीं किया गया है।
- संपत्ति के उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक ने कंपनी के पक्ष में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 281 (i) (ii) में निहित प्रावधानों के अनुसार आयकर अधिकारियों से अपेक्षित सहमति प्राप्त की है।

l. किसी भी समय किसी भी ऋणदाता संस्था या अन्य के पक्ष में उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक या उनके संबंधित प्रमोटरों द्वारा किए गए किसी भी समझौते में संपत्ति किसी भी प्रकार के गैर-निपटान उपक्रम के तहत कवर नहीं होती है और यह कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक को कंपनी के पक्ष में बंधक बनाने के लिए किसी पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

घर का निर्माण कर्ज की पहली क़िस्त के वितरण की तारीख से 18 (अठारह) महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।

m. यह कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/संपत्ति का मालिक न तो बेचेगा, कोई भी भार, चार्ज, ट्रांसफर, असाइन, मॉर्गेज, गिरवी नहीं रखेगा, हाइपोथेकेट नहीं बनाएगा, न किराए पर देगा या सरेंडर करेगा या संपत्ति के कब्जे से कितना भी अलग हो या सुरक्षा या उसके किसी हिस्से का सौदा नहीं करेगा।

n. कि गिरवी रखी गई संपत्ति पर केवल उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता का ही कब्जा होगा और उसे कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना किराए पर नहीं दिया जाएगा।

o. कि परिसंपत्ति केंद्र सरकार/राज्य सरकार की किसी भी योजना, या सुधार ट्रस्ट या केंद्र/राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण या किसी संरेखण, चौड़ीकरण या सड़क के निर्माण के द्वारा या किसी निगम या स्थानीय प्राधिकरण में शामिल या प्रभावित नहीं है।

p. कि परिसंपत्ति को अच्छी स्थिति और स्थिति में बनाए रखा जाएगा और सभी आवश्यक मरम्मत, परिवर्धन और सुधार ऋण की मुद्रा के दौरान किए जाएंगे और समय-समय पर कंपनी को सूचित किए जाएंगे। इसके अलावा, उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक संपत्ति या उसके किसी हिस्से पर किसी भी तरह की कुर्की या संकट को झेलने की अनुमति नहीं देंगे या ऐसी किसी भी चीज की अनुमति नहीं देंगे जो यहां सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है या खतरे में डाल सकती है।

q. कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता/मालिक किसी भी अनुचित या अवैध या गैरकानूनी गतिविधियों के लिए संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा या किसी भी कार्य के लिए संपत्ति को अनुकूलित या परिवर्तित नहीं करेगा, जो अनुचित या अवैध या गैरकानूनी है।

r. यह कि उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता विधिवत और समयबद्ध रूप से लागू कानूनों, विनियमों, एसोसिएशन के उप-कानूनों और उनके व्यवसाय या संपत्ति पर बाध्यकारी सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे और सुरक्षा के रख-रखाव के लिए ऐसे प्रभारों के साथ-साथ अन्य देय राशियों आदि का भुगतान करें, जो सुरक्षा और/या उसके उपयोग के संबंध में देय हों।

s. यह कि उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता ने किसी भी सरकार, स्थानीय निकाय या प्राधिकरण को देय सभी करों, आउटगोइंग, सार्वजनिक मांगों और वैधानिक बकाया का भुगतान किया है और भुगतान करेगा और किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से कोई मांग, दावा या नोटिस प्राप्त नहीं किया है और कंपनी द्वारा मांगे जाने पर भुगतान करने के लिए रसीदें प्रस्तुत करेगा, इसके अलावा, मासिक किस्तें स्वतः ही किसी भी दर, शुल्क, अधिरोपण, लेवी और / या धन जो भी हो, बढ़ जाएंगी। जो कि सरकार द्वारा किश्तों पर या इसके तहत लेन-देन पर लगाया जाता है या लगाया जा सकता है या जो इस समझौते में प्रवेश करने के आधार पर कंपनी द्वारा देय हो सकता है।

t. कि उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता ऐसे कार्य, कार्य, आश्वासन, मामले और चीजें करेंगे और कंपनी के पक्ष में संपत्ति को प्रभावी ढंग से गिरवी रखने के लिए ऐसे सभी रूपों, पत्रों और अन्य लेखों को निष्पादित करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त बंधक कंपनी के पक्ष में हर समय पंजीकृत है, जब तक कि कंपनी की संतुष्टि के लिए सभी शुल्कों के साथ ऋण की पूरी चुकौती नहीं हो जाती।

u. यह कि ऋण लेने के लिए दी गई जानकारी और दस्तावेज और संपत्ति के सुरक्षा के रूप में प्रावधान भौतिक मामलों में सत्य, पूर्ण, सही और सटीक हैं और भ्रामक नहीं है और किसी भी भौतिक तथ्य को नहीं छोड़ता है, जो उसमें कोई तथ्य या बयान भ्रामक बना देगा और कंपनी के पास मौजूद ऐसी जानकारी और दस्तावेज केवल उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा दिए गए माने जाएंगे।

v. कि कोई अप्राप्ति की घटना नहीं हुई है (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) और उधारकर्ता और/या प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी को तुरंत सूचित करेंगे, यदि कोई अप्राप्ति की घटना हुई है या होने की संभावना है,

w. कि उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता एक सामान्य निवासी भारतीय नागरिक हैं और बने रहेंगे इसलिए इस सुविधा के कार्यकाल के दौरान, उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता रोजगार या व्यवसाय के लिए या विदेश में लंबे समय तक रहने के लिए, उस समय में, बिना ब्याज और अन्य देय राशि और शुल्क सहित पूर्व भुगतान शुल्क सहित ऋण को पूरी तरह चुकाए बिना लागू नियमों के अनुसार भारत नहीं छोड़ेंगे।

x. यह कि उधारकर्ता और/या प्रत्याभूतिकर्ता ने किसी भी व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान में चूक नहीं की है और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया है (चाहे उनकी व्यक्तिगत क्षमता में या उनके नियंत्रण में अन्य व्यक्तियों के माध्यम से) जिसने उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के कहने पर उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता को कोई ऋण, जमा, अग्रिम, प्रत्याभूति या अन्य वित्तीय सुविधा प्रदान की है, इस समझौते के निष्पादन से पहले, उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता ने उक्त सभी सुविधाओं, यदि कोई हो, के संबंध में विवरण का खुलासा किया है।

y. यह कि उधारकर्ता की बकाया राशि परिसमापन / दिवाला / मृत्यु / विघटन / विलय या समामेलन / पुनर्निर्माण द्वारा प्रभावित, बिगड़ा या ठीक नहीं दी जाएगी या अन्यथा उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता का या प्रबंधन का अधिग्रहण या उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के उपक्रम का राष्ट्रीयकरण जैसा भी मामला हो। उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के किसी भी निदेशक/साझेदार/सदस्य, जैसा भी मामला हो, को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा जो सुविचारित चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर) के रूप में पहचानी गई इकाई का निदेशक/साझेदार/सदस्य हो। यदि ऐसा व्यक्ति सुविचारित चूककर्ता (विलफुल डिफॉल्टर)उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा, के रूप में पहचानी गई संस्था का निदेशक/साझेदार/सदस्य पाया जाता है।

z. यह कि उधारकर्ता/गारंटर के समापन/दिवालियापन/मृत्यु/विघटन/विलय या समामेलन/पुनर्निर्माण या अन्यथा या प्रबंधन के अधिग्रहण या उधारकर्ता/गारंटर के उपक्रम के राष्ट्रीयकरण से उधारकर्ता का बकाया प्रभावित, ख़राब या मुक्त नहीं होगा। मामला हो सकता है.

aa. कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह जानबूझकर चूक होने पर उधारकर्ता और/या गारंटर को, जैसा भी मामला हो, जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत कर सके और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को इसकी रिपोर्ट कर सके और नाम, तस्वीर प्रकाशित कर सके। जानबूझकर चूककर्ता (उधारकर्ता और/या गारंटर के मालिक/साझीदार/निदेशक/प्रवर्तक/उधारकर्ता और/या गारंटर के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी/जिम्मेदार व्यक्ति, जिन्हें जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया है) शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियमों के अनुपालन में, समाचार पत्र और/या ऐसे अन्य तरीके, जो उचित समझे, अपने विवेक पर निर्भर करता है।

जानबूझकर चूक करने वाले' और 'जानबूझकर चूक करने वाले' शब्दों का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित या निरस्त किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक (जानबूझकर चूक करने वालों और बड़े चूककर्ताओं का उपचार) निर्देश, 2024 के तहत दिया गया है।

जानबूझकर चूककर्ता के वर्गीकरण के संबंध में, उधारकर्ता और गारंटर आगे अनुबंध करते हैं कि:

i. न तो उधारकर्ता और न ही उसके किसी निदेशक/प्रवर्तक/साझेदार/उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी/जिम्मेदार व्यक्ति को जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया है। उधारकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करेगा जिसका नाम आरबीआई/सीआईसी की जानबूझकर चूक करने वालों की सूची में है, उसे कंपनी होने की स्थिति में निदेशक के रूप में या साझेदारी फर्म होने की स्थिति में भागीदार के रूप में या प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके मामले. यदि उधारकर्ता के निदेशक/साझेदार/प्रभारी के रूप में नियुक्त और जारी रखा गया ऐसा कोई व्यक्ति जानबूझकर चूककर्ता पाया जाता है, तो उधारकर्ता उस व्यक्ति को निदेशक/साझेदार/प्रभारी के रूप में हटाने के लिए शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगा और इसके लिए जिम्मेदार होगा। प्रबंध। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में, कंपनी उधारकर्ता को प्रदान की गई मौजूदा सुविधाओं को नवीनीकृत/बढ़ाने/नई क्रेडिट सुविधाएं या पुनर्गठन नहीं करेगी, जब तक कि उसके प्रमोटर और/या निदेशक (निदेशकों) और/या प्रभारी व्यक्ति का नाम न हो। और इकाई के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार इरादतन चूककर्ताओं की सूची में बना हुआ है।

ii. ऋण या उसके किसी भी भाग का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है और ऋण को ""डायवर्ट"" या ""छीन"" नहीं किया जाएगा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि कंपनी उधारकर्ता द्वारा धन की हेराफेरी / साइफनिंग के संबंध में उधारकर्ता के लेखा परीक्षक (ओं) से एक विशिष्ट प्रमाणीकरण चाहती है, तो कंपनी को इस उद्देश्य के लिए उधारकर्ता के लेखा परीक्षक (ओं) को एक अलग आदेश देने का अधिकार होगा। हालाँकि, यदि कंपनी चाहती है, तो कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह फंड के डायवर्जन / साइफनिंग की जांच के लिए अपने किसी भी कर्मचारी / चार्टर्ड अकाउंटेंट / कंपनी की पसंद के ऑडिटर (ओं) द्वारा उधारकर्ता के खातों का ऑडिट करवाए। , यदि कोई हो, उधारकर्ता की लागत और व्यय पर। उधारकर्ता कंपनी के कर्मचारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट/ऑडिटर को अपने कार्यालय/परिसर और उनके सभी रिकॉर्ड तक पहुंच की अनुमति देगा और उक्त उद्देश्य के लिए उन्हें जो भी जानकारी/रिकॉर्ड की आवश्यकता होगी, उसे प्रस्तुत करेगा।

bb. कि कंपनी या कंपनी के किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजे गए खाते के सभी विवरण उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा स्वीकार्य हैं और उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता से देय होने का दावा की गई किसी भी राशि के सही होने का निर्णायक प्रमाण होगा।

cc. कि किसी भी नोटिस या पत्राचार को उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा दिए गए पते पर संबोधित किया जाएगा और इसे प्रेषण की तारीख से 2 दिनों के भीतर प्राप्तकर्ता को तामील कर दिया गया माना जाएगा और यह कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के पते में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में, वे तुरंत कंपनी को इसकी सूचना देंगे, ऐसा न करने पर उनके द्वारा दिए गए पते पर नोटिस या पत्राचार की तामील उन पर तामील मानी जाएगी,

dd. यह कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी को "भुगतान रोकें" निर्देशों के कारण या किसी भी कारण से बैंक को भुगतान के लिए कोई भी चेक और/या कोई निर्देश प्रस्तुत करने से परहेज करने के लिए कॉल करने का हकदार नहीं होगा और यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता ऐसा करता है, तो भी कंपनी भुगतान के लिए कंपनी को दिए गए किसी भी निर्देश को चेक प्रस्तुत करने और/या पूरा करने की हकदार होगी।

ee. यह कि उधारकर्ता दीर्घावधि प्रकृति का कोई और ऋण नहीं बनाने, ग्रहण करने या न लेने के लिए सहमत है उधार के पैसे के लिए या अन्यथा, कंपनी

की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर और अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों से कोई भी राशि उधार लेने से पहले कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करें,

ff. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण के संबंध में किश्तें और अन्य धनराशि कंपनी द्वारा प्राप्त/वसूली की जाती है, उधारकर्ता हर समय अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि बनाए रखेगा,

gg. लागू सीमा तक, समझौते के तहत सुविधा का लाभ और अधिकारों का प्रयोग और दायित्वों का प्रदर्शन, निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए और किए गए निजी और वाणिज्यिक कृत्यों का गठन करेगा,

hh. यह कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता मानक शर्तों और अन्य लेनदेन दस्तावेजों के संबंध में किसी भी कार्यवाही में केस, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से स्वयं या संपत्ति/संपत्तियों के लिए हकदार नहीं है, हकदार नहीं होगा और दावा नहीं करेगा।

ii. यह कि ऋण या परियोजना का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी के प्रतिनिधियों और/या नामांकित व्यक्तियों को निर्माण की प्रगति, खातों की पुस्तकों दस्तावेज़ और रिकॉर्ड जिसके लिए ऋण मांगा गया है या उधारकर्ता के परिसर, कारखाने और अन्य संपत्ति / परिसम्पत्ति, खातों की किताबें और अन्य सभी प्रासंगिक खाते, दस्तावेज और रिकॉर्ड के पर्यवेक्षण और/या निरीक्षण के उद्देश्य से ऋण के लंबित रहने के दौरान समय-समय पर आने और निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

jj. उधारकर्ता कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जा सकने वाले कंपनी के क्रेडिट मानदंडों का पालन करेगा और बाध्य होगा।

kk. ऋण राशि का निर्धारण, ब्याज दर, ब्याज दर में परिवर्तन कंपनी के विवेकाधिकार पर होगा और उधारकर्ता या प्रत्याभूतिकर्ता इसका विवाद नहीं करेंगे।

ll. उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता को उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के दिवालियेपन/समापन के लिए आवेदन/याचिका दायर किए जाने या दायर किए जाने की सूचना मिलने की स्थिति में तुरंत कंपनी को सूचित करना; या यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के खिलाफ दायर की जाने वाली या दायर की जाने वाली या शुरू की जाने वाली किसी अन्य

mm. कानूनी कार्यवाही की सूचना उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता को प्राप्त होती है; या यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता की किसी संपत्ति, व्यवसाय या उपक्रम में संरक्षक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है; या यदि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता की संपत्ति, व्यवसाय या उपक्रम का कोई हिस्सा संलग्न है/हैं।

nn. यह कि उधारकर्ता एक अपरिवर्तनीय मुख्तारनामा निष्पादित करेगा/ सुनिश्चित करें कि संपत्ति का मालिक कंपनी के पक्ष में उसी को निष्पादित करता है जो कंपनी को ऐसे सभी कार्य करने के लिए अधिकृत करता है जो आवश्यक समझे जा सकते हैं और जो उधारकर्ता/मालिक की मृत्यु/विघटन/समापन द्वारा रद्द नहीं किया जाएगा और कंपनी उधारकर्ता/परिसंपत्ति के मालिक की मृत्यु / विघटन / समापन के बावजूद, उक्त मुख्तारनामा के अनुसार गिरवी रखी गई संपत्ति को बेच सकती है।

oo. यह कि उधारकर्ता किसी के लिए जमानतदार नहीं होगा या किसी सुविधा के पुनर्भुगतान/भुगतान की प्रत्याभूति नहीं देगा।

pp. यह कि उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी को अपनी मर्जी से ऐसी सभी सूचनाएं, आय/वित्तीय विवरण, विवरण, अनुमान और रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करेगा, यदि लागू हो, तो हर साल इसकी तारीख से कंपनी को समय-समय पर ऋण की शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता हो सकती है और प्रत्येक तिमाही अवधि की समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर उधारकर्ता के अलेखापरीक्षित तिमाही आय विवरण, कंपनी को संतोषजनक रूप और विवरण में कंपनी को भी प्रस्तुत करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतियां जिसमें बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाता (विस्तार से और संक्षिप्त रूप में नहीं) शामिल हैं;

qq. यह कि उधारकर्ता कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख या अन्य संवैधानिक दस्तावेजों और खंडों में कोई संशोधन नहीं करेगा;

rr. यह कि उधारकर्ता कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपने व्यवसाय के प्रबंधन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करेगा;

ss. यह कि उधारकर्ता, उधारकर्ता के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा जिससे कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उधारकर्ता का प्रभावी लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण बदल जाएगा;

tt. यह कि उधारकर्ता किसी लाभांश की घोषणा नहीं करेगा यदि मूलधन या ब्याज की कोई किश्त उसकी देय तिथि पर बकाया रहती है।

uu. उधारकर्ता निम्नलिखित के रूप में आगे अनुबंध करता है:

(उधारकर्ता के साझेदारी संघ होने की स्थिति में लागू)

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि समझौते की निरंतरता/वैधता के दौरान साझेदारी संघ के गठन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो किसी या सभी भागीदारों के दायित्व को कम या समाप्त कर देगा। किसी साथी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की स्थिति में, कंपनी अपने विवेक से जीवित और/या जारी साझेदारों के साथ अपने अधिकारों को प्रभावित किए बिना सेवानिवृत्त साझेदार या मृत साथी के वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ व्यवहार करेगी, जैसा कि कंपनी उचित और उचित समझेगी, और सेवानिवृत्त भागीदार और/या मृत साझेदार के वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों का इस तरह के सौदे के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। जिन भागीदारों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वे पुष्टि करते हैं कि: (i) वे अनुबंध की अनुसूची में नामित संस्था के एकमात्र भागीदार हैं; (ii) साझेदारी संस्था भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत विधिवत पंजीकृत है। (iii) वे कंपनी को साझेदारी में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में लिखित रूप में सलाह देंगे; (iv) वे कंपनी के अनुमोदन के बिना साझेदारी संस्था को भंग/पुनर्गठन नहीं करेंगे; (v) समझौते के तहत सभी दायित्वों के प्रदर्शन के लिए सभी भागीदार संयुक्त रूप से और कंपनी के प्रति गंभीर रूप से उत्तरदायी हैं।

(उधारकर्ता के HUF होने की स्थिति में लागू)

कंपनी को हर समय आवश्यक दस्तावेज और लेख प्रस्तुत करके HUF के गठन में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित किया जाएगा। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि दस्तावेजों के जारी रहने/वैधता के दौरान HUF (सुविधा समझौते की अनुसूची नामित) के गठन में कोई बदलाव नहीं होगा या HUF के किसी या सभी वयस्क सदस्यों/सहदायिकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे और HUF, इसकी संपत्ति, प्रभाव और उत्तराधिकारियों पर होंगे। समझौता और दस्तावेज कर्ता

या HUF के किसी भी उत्तराधिकारी के खिलाफ या HUF के लिए काम करने वाले सभी वयस्क सह-साझेदारों / HUF कर्ता के सदस्यों के खिलाफ और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लागू करने योग्य होंगे, और संयुक्त HUF के अन्य वयस्क सदस्य/सहदायिक उपस्थित, कंपनी को वारंट और पुष्टि करते हैं कि:

i. वे HUF के सदस्य/सहदायिक हैं;

ii. समझौते के हस्ताक्षरकर्ता वर्तमान में HUF के एकमात्र वयस्क सदस्य हैं;

iii. अनुबंध की अनुसूची में दिए गए नाम और शैली के तहत किया जाने वाला व्यवसाय उनका संयुक्त परिवार व्यापार है जो नाबालिग सदस्यों के लिए बाध्यकारी है, यदि कोई पैतृक व्यापार / व्यवसाय है, तो HUF के लिए और उसकी ओर से समझौता किया गया है और समझौते में उल्लिखित लेनदेन ऊपर उल्लिखित HUF व्यवसाय / व्यापार का एक हिस्सा हैं;

iv. ऊपर उल्लिखित एचयूएफ व्यवसाय/व्यापार एचयूएफ के वयस्क सदस्यों/सहदायिकों द्वारा संचालित और प्रबंधित किया जा रहा है और उन सभी को संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से दस्तावेजों की शर्तों को सुरक्षा के विरुद्ध या अन्यथा निष्पादित करने और सभी को निष्पादित करने का अधिकार दिया गया है। आवश्यक उपकरण, कार्य, दस्तावेज और लेखन और ऐसे सभी कार्य, चीजें और कर्म करना जो लेनदेन दस्तावेजों की शर्तों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हैं और चेक, बिल, प्रो-नोट्स को निष्पादित करना, निकालना, समर्थन करना, बातचीत करना और बेचना भी शामिल है। , एचयूएफ कर्ता की ओर से विनिमय के बिल और अन्य परक्राम्य दस्तावेज, एचयूएफ के लिए और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य करते हुए, और एचयूएफ के अन्य वयस्क सहदायिक / सदस्य इसके द्वारा कंपनी को सभी कार्यों, दावों, मांगों के खिलाफ मुआवजा देते हैं और मुआवजा देते रहते हैं। कार्यवाही, हानि, क्षति, लागत, शुल्क और खर्च जो भी हो, कंपनी किसी भी समय अनुबंध और दस्तावेजों में विचार किए गए लेनदेन के कारण या उससे उत्पन्न होने, भुगतने, भुगतान करने या बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो सकती है। और अलग से, समझौते के तहत कंपनी के दायित्वों के साथ किए गए सभी लेनदेन के संबंध में।

(उधारकर्ता के मालिक होने की स्थिति में लागू)

मालिक इसके द्वारा प्रतिनिधित्व करता है, वारंट करता है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि वह अनुबंध की अनुसूची में नामित संघ का एकमात्र मालिक है,वह उपरोक्त संघ की देनदारियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और समझौते और दस्तावेज के तहत सभी दायित्वों के प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

aa) उधारकर्ता तुरंत कंपनी को किसी भी नुकसान या क्षति / गिरावट के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा जो संपत्ति के मूल्य के लिए हुआ है और किसी तीसरे पक्ष द्वारा संपत्ति पर ऐसे दावों के खिलाफ आवश्यक दावों का पीछा करेगा; बशर्ते, ऐसी कोई भी हानि या क्षति उधारकर्ता को दायित्व से मुक्त नहीं करेगी, भले ही बीमाकर्ता द्वारा दावा स्वीकार किया गया हो या नहीं।

bb) कंपनी किसी भी उद्देश्य के लिए उसे सौंपे गए किसी भी दस्तावेज को वापस करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक कि ऋण और कंपनी को देय सभी राशियों का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है।

cc) इस समझौते में उधारकर्ता के सभी अभ्यावेदन और वारंटी को इस समझौते की तारीख से हर दिन उधारकर्ता द्वारा दोहराया जाना माना जाएगा, जब तक कि कंपनी को उक्त बकाया का पूरा भुगतान नहीं कर दिया जाता है; और किसी भी दिन या किसी भी समय किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी के असत्य या गलत होने या होने की स्थिति में उधारकर्ता तुरंत कंपनी को सूचित करेगा।

dd) उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता पुष्टि करता है कि वह/उसके परिवार के सदस्य/करीबी रिश्तेदार KYC के RBI दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति नहीं हैं। उधारकर्ता उपरोक्त स्थिति में किसी भी परिवर्तन पर तुरंत कंपनी को सूचित करने का वचन देता है।

ee) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि संपत्ति के संबंध में उसके द्वारा भुगतान/देय सभी राशि वैध स्रोत के माध्यम से है/होगी और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत धन शोधन का अपराध नहीं है/नहीं होगा।

ff) अनुबंध का लाभ

यह समझौता ऋण लेने वाले और उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए बाध्यकारी और सुनिश्चित होगा। उधारकर्ता की मृत्यु के मामले में, ऐसे उपर्युक्त व्यक्ति निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(i) मृतक उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पोस्ट डेटेड चेक/ACH या ECS मैंडेट, शुल्क और शेष चेक को उसी तरीके से बदलें जैसे कि इस समझौते में प्रदान किया गया था जैसे कि वह पहली बार में उधारकर्ता थे।

(ii) राजस्व विभाग, निगम/नगर पालिका/पंचायत या ग्राम कार्यालय, बिजली बोर्ड, मेट्रो पानी आदि जैसे सांविधिक प्राधिकारियों के अभिलेखों में नाम परिवर्तित करवाएं और उसकी एक प्रति जमा करें।

(iii) एक नया समझौता, मुख्तारनामा और ऐसे अन्य दस्तावेज निष्पादित करें जो कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। उपरोक्त के बावजूद, कंपनी कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि के साथ समझौते को जारी रखना है या नहीं यह निर्धारित करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की हकदार होगी। यदि कानूनी प्रतिनिधि उपरोक्त प्रक्रिया का पालन नहीं करता है या मना करता है या कंपनी के क्रेडिट और अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, कंपनी अपने विवेकाधिकार पर किसी तीसरे पक्ष को अचल संपत्ति का कब्जा/निपटान/बिक्री/हस्तांतरण करने की हकदार होगी, और ऐसी वसूली पर हुई कमी की वसूली कानूनी प्रतिनिधि से की जाएगी।

17. **बीमा:**

a. उधारकर्ता ऋण की मुद्रा के दौरान हर समय, अपनी लागत पर, कंपनी की सुरक्षा का गठन करने वाली उक्त संपत्ति को ऐसे जोखिमों और ऐसी राशियों के लिए और ऐसी अवधि और प्रपत्रों के लिए, जिनकी कंपनी को आवश्यकता हो सकती है, कंपनी के नाम पर या कंपनी को हानि प्राप्तकर्ता के रूप में चिह्नित किया जा रहा है या कंपनी को पॉलिसी सौंपी जा रही है, के खिलाफ पूरी तरह से बीमाकृत रखें या कंपनी के हित को ऐसी पॉलिसी पर मान्यता दी जा रही है जो कंपनी द्वारा आवश्यक हो, ऐसी बीमा कंपनी या प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ लिखित रूप में कंपनी द्वारा अनुमोदित किया जाना है

और बीमा पॉलिसियों और सभी कवर नोट प्रीमियम रसीद जमा करेगा आदि। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि उपरोक्त बीमा के अलावा, वह किसी भी कारण से उत्पादन के रुकने की स्थिति में स्थायी शुल्क और व्यापार में हानि या लाभ के संबंध में बीमा कवर की व्यवस्था करेगा। उधारकर्ता सभी प्रीमियम का समय पर भुगतान करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने के लिए पीड़ित नहीं होगा जो ऐसे बीमा को अमान्य कर सकता है और उक्त नीतियों के तहत कोई भी धनराशि प्राप्त होने पर, कंपनी को उसका भुगतान करेगा, जिसे कंपनी के विकल्प पर या तो सुरक्षा को बहाल करने या बदलने या उक्त देय राशि के पुनर्भुगतान में लागू किया जाएगा। यदि उधारकर्ता उक्त सभी/किसी भी संपत्ति/संपत्ति का बीमा या बीमा कराने में विफल रहता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो कंपनी बिना किसी पूर्वाग्रह के या इसके तहत अपने अधिकारों को प्रभावित किए बिना, बीमा करने और उसे बीमा रखने के लिए स्वतंत्र (लेकिन बाध्य नहीं) होगी और उधारकर्ता मांग पर कंपनी को ऐसा करने में कंपनी द्वारा खर्च की गई या खर्च की गई सभी राशियों को पूर्वोक्त ऋण के लिए लागू ब्याज के साथ चुकाएगा।

b. उधारकर्ता द्वारा ऐसी बीमा पॉलिसियों को प्राप्त करने और/या कंपनी को इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में अप्राप्ति की घटना होगी और कंपनी पॉलिसी ले सकती है। अगर कंपनी संपत्ति के बीमा के लिए/उसके लिए बीमा प्रीमियम, या किसी अन्य पैसे का भुगतान करती है, किसी भी कारण से संपत्ति के नुकसान या क्षति की स्थिति में, उधारकर्ता कंपनी द्वारा भुगतान की गई ऐसी सभी राशियों की प्रतिपूर्ति करेगा जो भी हो, किसी भी बीमा राशि पर पहला दावा कंपनी का होगा, जो कंपनी द्वारा उधारकर्ता की बकाया राशि के लिए कंपनी द्वारा लागू किया जाएगा या कंपनी द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य तरीके से लागू किया जाएगा। इसके अलावा, संपत्ति के कुल नुकसान/क्षति की स्थिति में, यदि बीमा कंपनी द्वारा निपटाई गई दावा राशि उधारकर्ता द्वारा बकाया और देय कुल उधारकर्ता की बकाया राशि से कम है, उधारकर्ता तुरंत कंपनी को उधारकर्ता की बकाया राशि की सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा।

c. कंपनी अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत है और अपने विवेकाधिकार पर उधारकर्ता की ओर से, उधारकर्ता के एकमात्र जोखिम और लागत पर कार्य करने के लिए, और सभी आवश्यक कदम, कार्रवाई और कार्यवाही करने की हकदार है, जैसा कि कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए उपयुक्त समझती है: (i) किसी बीमा के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को समायोजित करने, निपटाने, समझौता करने या मध्यस्थता का संदर्भ देने के लिए और इस तरह के समायोजन, निपटान, समझौता, और इस तरह के मध्यस्थता पर किया गया कोई भी पुरस्कार उधारकर्ता पर मान्य और बाध्यकारी होगा और (ii) ऐसे किसी भी बीमा के तहत या उसके तहत किए गए किसी भी दावे के तहत देय सभी धन प्राप्त करने के लिए और उसके लिए एक वैध रसीद देने के लिए, और इस तरह की शर्तों के अनुसार या कंपनी द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य तरीके से इस तरह की कार्यवाही लागू करें।

d. यदि कंपनी बीमा दावों या कार्यवाही के संबंध में और/या आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनती है, तो उधारकर्ता कंपनी के खिलाफ कोई दावा करने का हकदार नहीं होगा कि इस तरह के समायोजन के बाद बकाया बकाया राशि की शेष राशि के लिए एक बड़ी राशि या दावों/निपटान की राशि प्राप्त हो सकती है या प्राप्त होनी चाहिए या उधारकर्ता की देयता पर विवाद करने का हकदार होना चाहिए।

e. कंपनी, उधारकर्ता के अनुरोध पर, व्यक्तिगत दुर्घटना, अस्पताल में भर्ती होने, कंपनी को ऋण राशि और/या कंपनी के नाम पर गंभीर बीमारी के जोखिम के खिलाफ सभी जोखिमों और/या उधारकर्ता के खिलाफ संपत्ति का बीमा करने वाली बीमा पॉलिसी के लिए बीमा प्रीमियम का वित्त पोषण या कंपनी को हानि प्राप्तकर्ता के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। उधारकर्ता की ओर से कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ऐसा बीमा प्रीमियम यहां दिए गए ऋण की मूल राशि में जोड़ा जाएगा और किश्तों में शामिल किया जाएगा और उधारकर्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा। फिर भी, यदि पॉलिसी लागू नहीं होती है या किसी भी परिस्थिति में कवर नहीं होती है, तो कंपनी उक्त प्रीमियम राशि को मूल बकाया या किसी अन्य देय राशि या ऋण या कंपनी के साथ किसी अन्य खाते के खिलाफ शुल्क को समायोजित करने के लिए अधिकृत है।

यदि उधारकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो प्रत्याभूतिकर्ता की क्षमता में या अन्यथा सुरक्षा के रूप में संपत्ति प्रदान की जाती है, तो उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त शर्तों का विधिवत पालन किया जाए।

18. प्रत्याभूतिकर्ता की देयताएं

a) प्रत्याभूतिकर्ता इसके द्वारा कंपनी को प्रत्याभूति देता है कि उधारकर्ता द्वारा देय तिथियों पर किस्तों का भुगतान करने में विफल रहने या इस समझौते के तहत अपनी किसी भी देनदारियों का निर्वहन करने की स्थिति में, प्रत्याभूतिकर्ता बिना किसी विवाद या विवाद के ऐसी किसी भी राशि की मांग पर भुगतान करने के लिए कंपनी को आश्वासन देता है, वचन देता है और खुद को उत्तरदायी मानता है। हालांकि, कंपनी की ओर से किसी भी चूक की स्थिति में मांग करने में कोई भी विफलता या देरी इस समझौते के तहत दायित्व के प्रत्याभूतिकर्ता को राहत नहीं देगी।

b) बी) इसके तहत गारंटर की देनदारी किश्तों, ब्याज, दंड शुल्क, शुल्क, लागत और इस समझौते के तहत कंपनी को उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी अन्य बकाया राशि सहित शेष सभी राशियों के लिए उधारकर्ता के साथ सह-व्यापक होगी।

c) प्रत्याभूतिकर्ता इस बात से सहमत है कि उसका दायित्व एक प्राथमिक दायित्व का होगा न कि केवल एक जमानतदार के रूप में और कंपनी द्वारा उधारकर्ता को दी गई किसी भी सुविधा या समय के कारण प्रत्याभूति खराब या छुट्टी नहीं दी जाएगी या इस समझौते के तहत किसी भी देय राशि के भुगतान या उक्त ऋण की चुकौती या सृजित करने के लिए प्रस्तावित किसी भी सुरक्षा के संबंध में दिखाया गया कोई अनुग्रह या सहिष्णुता।

d) किसी भी व्यवस्था के बावजूद प्रत्याभूतिकर्ता के खिलाफ कंपनी के अधिकार पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे जो कंपनी और अन्य प्रत्याभूतिकर्ता के बीच पहुंचा जा सकता है, यदि कोई हो, या उस दूसरे के दायित्व के जारी होने के बावजूद, कंपनी को प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा उसके दायित्वों के निष्पादन की सभी मामलों में समान सीमा तक अपेक्षा करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसे प्रत्याभूतिकर्ता हर समय उक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी था।

e) प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा सहमत है कि उसकी सहमति/सहमति के बिना, उधारकर्ता और कंपनी इस समझौते के नियमों और शर्तों और/या बनाई गई सुरक्षा और/या कंपनी के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित सुरक्षा दस्तावेजों में बदलाव करने, बदलने या संशोधित करने, और विशेष रूप से ऋण के पुनर्भुगतान को स्थगित, स्थगित या संशोधित करने और/या ऐसे नियमों और शर्तों पर उधारकर्ता द्वारा कंपनी को देय ब्याज और अन्य धन का

भुगतान जैसा कि इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ब्याज दर में किसी भी वृद्धि सहित कंपनी द्वारा आवश्यक समझा जा सकता है, के लिए स्वतंत्र होंगे। कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए कंपनी को उधारकर्ता द्वारा दी जाने वाली या प्रस्तुत की जाने वाली सभी या किसी भी सुरक्षा/प्रतिभूतियों को पूरी तरह से त्यागने या जारी करने के लिए स्वतंत्र होगी।

f) कंपनी को प्रत्याभूतिकर्ता को सूचना दिए बिना प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और किसी भी तरह से इस प्रत्याभूति को प्रभावित किए बिना, किसी भी समय और किसी भी तरीके से इस समझौते के तहत कंपनी के लिए आरक्षित कोई भी शक्ति या शक्तियाँ, उधारकर्ता से कंपनी को देय किश्तों या अन्य धन के भुगतान को लागू करने के लिए लागू करना या मना करनने के लिए या कंपनी को उपलब्ध कोई भी उपाय या प्रतिभूतियां, किसी भी संरचना या परिसर में प्रवेश करने के लिए या समय या कोई अन्य भोग या सुविधा देने के लिए उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता को कंपनी द्वारा ऊपर उल्लिखित मामलों के संबंध में अपनी स्वतंत्रता के अभ्यास से मुक्त नहीं किया जाएगा या कंपनी की ओर से किसी कार्य या अप्राप्ति से या किसी अन्य मामले या चीज़ से जो भी हो, जो ज़मानत से संबंधित कानून के तहत, लेकिन इस प्रावधान के लिए, प्रत्याभूतिकर्ता को रिहा करने का प्रभाव होगा और प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा कंपनी के पक्ष में इस प्रतिभूतियां के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, सभी ज़मानत और अन्य अधिकार जो प्रत्याभूतिकर्ता अन्यथा लागू करने के हकदार हो सकते हैं।

g) यह प्रतिभूतियां प्रत्याभूतिकर्ता के विरुद्ध इस बात के होते हुए भी लागू की जा सकती है कि ऋण के भुगतान के लिए कोई भी सुरक्षा या प्रतिभूति उस समय होगी जब इस प्रतिभूतियां पर प्रत्याभूतिकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, बकाया या अप्राप्त या खो जाती है।

h) प्रत्याभूतिकर्ता सहमत है कि कंपनी के खातों के विवरण की विधिवत प्रमाणित प्रति इस समझौते के तहत देय और देय राशि के रूप में प्रत्याभूतिकर्तापर बाध्यकारी होगी।

i) इसके तहत प्रत्याभूतिकर्ता की देनदारी किसी भी तरह से दिवालिएपन या किसी याचिका या प्रस्ताव या उधारकर्ता के दिवालिएपन के आदेश द्वारा प्रस्तुत, पारित या किए जाने या कंपनी या उधारकर्ता के संविधान में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी।

j) प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा सहमत है और घोषणा करता है कि उधारकर्ता ऋण के अतिरिक्त और ऋण या अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने और/या इस प्रतिभूतियां के निर्वाह के दौरान इसे नवीनीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस स्थिति में यहां निहित प्रतिभूतियां किसी भी तरह से प्रभावित या खराब नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से प्रभावी और प्रभावी रहेगी और प्रत्याभूतिकर्ता को बाध्य करेगी।

k) प्रत्याभूतिकर्ता इस बात से सहमत है कि कंपनी के पास सुरक्षा और / या संपत्ति जारी करने का अधिकार होगा और इस समझौते के तहत प्रत्याभूतिकर्ता के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाएगा।

l) प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा सहमत है कि इस समझौते के तहत प्रत्याभूतिकर्ता को भुगतान करने की आवश्यकता से पहले कंपनी के लिए अपने अधिकारों को समाप्त करना या उधारकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करना आवश्यक नहीं होगा।

m) प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी द्वारा मांगे जाने पर भी इस प्रतिभूतियां के तहत देय और देय भुगतान करने के लिए सहमत है कि इस समझौते या किसी अन्य संबंधित या संबंधित दस्तावेज़ के किसी प्रावधान के संबंध में कंपनी और उधारकर्ता के बीच एक विवाद लंबित है।

n) यह गारंटी जारी रहेगी और तब तक पूरी तरह लागू और प्रभावी रहेगी जब तक कि उधारकर्ता सभी ब्याज, दंडात्मक शुल्क, लागत, शुल्क और अन्य सभी धनराशि के साथ ऋण का पूरा भुगतान नहीं कर देता है जो समय-समय पर देय और देय हो सकता है। और इस अनुबंध के तहत कंपनी को भुगतान नहीं किया गया।

o) प्रत्याभूतिकर्ता इस बात से सहमत है कि इस समझौते और/या अधूरे दस्तावेजों या लेखों में किसी भी दोष या अमान्यता के बावजूद, यह प्रतिभूतियां वैध और क्रियाशील होगी और प्रत्याभूतिकर्ता को इस प्रतिभूतियां के निष्पादन के अलावा इसके तहत अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा।

p) यह प्रतिभूतियां उधारकर्ता द्वारा कंपनी को किए गए या उसके साथ किए गए किसी भी भुगतान से पूर्ण या आंशिक रूप से संतुष्ट या समाप्त नहीं होगी और इस ऋण समझौते के तहत कंपनी को देय सभी धन की पूरी चुकौती होने तक प्रत्याभूतिकर्ताऔर संचालन ऑपरेटिव पर वैध और बाध्यकारी होगा।

q) यह प्रतिभूतियां अपरिवर्तनीय होगी और पूरी तरह से लागू और प्रभावी होगी, भले ही कंपनी ने कोई अन्य प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट या व्यक्तिगत प्राप्त की हो; ऐसे समय तक ऋण को सुरक्षित करने के लिए, जब तक कि ऋण की अदायगी सहित कंपनी के सभी बकाया ब्याज और अन्य सभी खर्चों और देय राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है। यह प्रतिभूतियां प्रत्याभूतिकर्ता के वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों के लिए बाध्यकारी होगी।

19. प्रस्तावना:

a. कंपनी अपने विवेकाधिकार पर और पूर्वभुगतान जैसी शर्तों पर और जैसा कि वह निर्धारित कर सकती है, उधारकर्ता के अनुरोध पर किश्तों या पूर्वभुगतान में तेजी लाने की अनुमति देती है।

b. बी।उधारकर्ता कंपनी को कम से कम 21 दिन का लिखित नोटिस देकर ऋण की पूर्व-बंद करने की मंशा बता सकता है और कंपनी को ऋण की बकाया मूल राशि, अतिदेय किस्तें, ब्याज, दंडात्मक शुल्क आदि का पूरा भुगतान कर सकता है। कंपनी को समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय और देय अन्य सभी धनराशि। पूर्वभुगतान की अनुमति केवल कंपनी के नियमों के अनुसार दी जाएगी या अनुसूची में निर्दिष्ट अवधि तक की जाएगी। पूर्वभुगतान इस अनुबंध की अनुसूची में निर्धारित शुल्क या कंपनी द्वारा समय-समय पर तय की गई अन्य दर पर होगा। हालाँकि, सह-उधारकर्ता के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत उधारकर्ता को व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत अस्थायी रेट टर्म लोन पर पूर्वभुगतान प्रतिबंध और शुल्क लागू नहीं होते हैं।

c. डी।विवरण में उल्लिखित पूर्वभुगतान राशि खाते के विवरण में दिखाए गए चेक की वसूली के अधीन होगी और इस धारणा पर कि सभी भुगतान समझौते के लिए प्रेषित किए गए हैं, ऐसा न होने पर, इसे उलट दिया जाएगा और चेक के साथ देय हो जाएगा। अनादर शुल्क, और दंडात्मक शुल्क, पहचान पर लागू होने वाले अन्य शुल्क, भले ही यह एनओसी जारी करने के बाद हो।

d. यह आगे सहमति हुई है कि उधारकर्ता को कंपनी के प्रति अपनी देनदारी का निर्वहन किए बिना गिरवी रखी गई संपत्ति को वापस करने के लिए कंपनी को कॉल करने का अधिकार नहीं होगा। जब ऐसी गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य उस मूल्य से अधिक हो जाता है जिसके लिए बाजार की स्थितियों के कारण उनका मूल्यांकन किया जाता है।

20. कार्यभार / प्रतिभूतिकरण:

a. यह समझौता उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता के लिए व्यक्तिगत है। उधारकर्ता या प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस समझौते के लाभ या दायित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौंपने का हकदार नहीं होगा।

b. उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता को बिना किसी सूचना के किश्तों को प्राप्त करने के अधिकार और किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिक्री, हस्तांतरण, प्रतिभूतिकरण, असाइनमेंट, चार्ज या सुरक्षा या अन्यथा के माध्यम से ऋण शेष सहित कंपनी पूरी तरह से हकदार होगी और इस समझौते के तहत अपने किसी या सभी अधिकारों, लाभों, दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों को देने, सुरक्षित करने, बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने की पूरी शक्ति और अधिकार होगा। और ऐसी कोई भी बिक्री, समनुदेशन या स्थानांतरण उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता के लिए निर्णायक रूप से बाध्य होगा और उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता इस करार के तहत ऐसे समनुदेशिती के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और स्वीकार करता है कि कंपनी पूरी तरह से हकदार होगी और उसके पास अपने सभी अधिकारों और हितों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा और इस तरह से और ऐसी शर्तों पर जैसा कि कंपनी निर्णय ले सकती है, जिसमें क्रेता, समनुदेशिती या अंतरिती की ओर से उधारकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कंपनी को अपनी शक्ति बनाए रखने का अधिकार शामिल है, कंपनी की पसंद के किसी तीसरे पक्ष को बिना किसी संदर्भ के या उधारकर्ता को लिखित सूचना दिए बिना।

c. उधारकर्ता एतद्द्वारा कंपनी को अपने जोखिम और लागत पर एक या एक से अधिक व्यक्ति को उधार लेने वाले से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी तथ्य या जानकारी को सत्यापित करने के लिए और/या उधारकर्ता की बकाया राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है और/या किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए और ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज, सूचना, तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं जो कंपनी ठीक समझे और इस संबंध में खर्च उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

d. उधारकर्ता ऐसे आवश्यक कागजात निष्पादित करने का वचन देता है जो कंपनी द्वारा इस तरह के हस्तांतरण, बिक्री या कार्यभार को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

21. ग्रहणाधिकार और सेट-ऑफ:

a. उधारकर्ता के सभी खातों और देनदारियों के संबंध में, कंपनी के पास उधारकर्ता की उन सभी संपत्तियों पर ग्रहणाधिकार होगा जो कंपनी के पास हैं/होंगी, चाहे सुरक्षित रखने के लिए, संग्रह के लिए या अन्यथा और सभी पैसे अभी या इसके बाद उसके पास रहेंगे। किसी भी चालू या किसी अन्य खाते पर कंपनी के साथ उसका क्रेडिट और कंपनी को कंपनी के बकाया की वसूली के उद्देश्य से उपरोक्त सभी प्रतिभूतियों और संपत्ति के खिलाफ आगे बढ़ने का अधिकार होगा।

b. कंपनी, अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, सभी या किसी भी उक्त खातों के तहत उधारकर्ता द्वारा देय और देय राशि की वसूली के लिए स्वीकार्य तरीके से उधारकर्ता के खातों को संयोजित या समेकित कर सकती है। कंपनी किसी भी अन्य खाते में उधारकर्ता की देनदारियों की संतुष्टि के लिए या किसी भी अन्य खाते में उधारकर्ता की देनदारियों की संतुष्टि के लिए किसी भी या अधिक खातों के क्रेडिट के लिए उधारकर्ता से संबंधित सभी धन को सेट-ऑफ या स्थानांतरित कर सकती है, चाहे ऐसी देनदारियां वास्तविक हों या आकस्मिक/प्राथमिक या संपार्श्विक और कई या संयुक्त हों।

c. यदि कंपनी द्वारा मांगे जाने पर ऋण खाते में बकाया राशि का भुगतान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, उधारकर्ता के किसी भी खाते में इस तरह के क्रेडिट बैलेंस को ऋण खाते के तहत बकाया राशि में समायोजित किया जाएगा। किसी भी कमी के मामले में, कंपनी द्वारा उधारकर्ता से घाटे की राशि की वसूली की जा सकती है।

d. जब तक उधारकर्ता/गारंटर द्वारा डिफ़ॉल्ट की कोई निरंतर घटना होती है, तब तक कंपनी एनओसी जारी करने/सौंपने, स्वामित्व विलेख/दस्तावेज, कोई देय पत्र नहीं देने और/या संपत्ति पर बनाए गए बंधक का भुगतान रोकने की हकदार होगी। कंपनी के साथ किए गए किसी भी अन्य समझौते के तहत। तदनुसार, उधारकर्ता/गारंटर इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि वे एनओसी, स्वामित्व विलेख/दस्तावेज, कोई देय पत्र प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे और सभी समझौतों पर सभी बकाया बकाया/शुल्कों के पूर्ण और अंतिम निपटान पर ही उक्त बंधक से मुक्ति का अनुरोध करेंगे। उधारकर्ता/गारंटर द्वारा दर्ज किया गया।

e. इन उपहारों में शामिल किसी भी चीज़ को सुरक्षा दस्तावेजों या गारंटी पत्रों या उनमें से किसी के तहत या किसी भी कानून के तहत कंपनी के अधिकारों और शक्तियों को सीमित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

f. उधारकर्ता द्वारा कोई सेट-ऑफ़ या प्रतिदावा नहीं किया जाएगा और इस अनुबंध के तहत उधारकर्ता द्वारा किए गए सभी भुगतान बिना किसी सेट-ऑफ़ या प्रतिदावे के किए जाने चाहिए।'

22. मुआवज़ा:

उधारकर्ता/गारंटर कंपनी की सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, कानूनी कार्यवाही, दावों, मांगों और सभी लागतों, शुल्कों, खर्चों, हानियों या क्षति के खिलाफ कंपनी को क्षतिपूर्ति देगा और मुआवजा देगा जो किसी भी गलत या गलत कारण से कंपनी को हो सकता है या भुगतना पड़ सकता है। -इसके तहत उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कंपनी को दी गई प्रस्तुति या भ्रामक जानकारी या यहां दिए गए किसी भी नियम, शर्तों, समझौतों और प्रावधानों का उधारकर्ता/गारंटर द्वारा कोई उल्लंघन/डिफ़ॉल्ट उल्लंघन/गैर-पालन/गैर-प्रदर्शन या शीर्षक में कोई दोष सुरक्षा का. कंपनी इस खंड के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि को शामिल करने की हकदार होगी, उक्त बकाया राशि इस समझौते की विषय वस्तु है।

23. सूचना:

इसके अनुसरण में किसी भी नोटिस को विधिवत रूप से दिया और दिया गया माना जाएगा यदि, डाक / कूरियर / फैक्स हस्तांतरण / ई-मेल द्वारा उधारकर्ता के / प्रत्याभूतिकर्ता के / मालिक के पते / पते पर भेजा गया हो या और ऐसी नोटिस ई- मेल/अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उधारकर्ता / प्रत्याभूतिकर्ता को विधिवत

सूचित किया जाता है और ऐसी सूचना पोस्टिंग की तारीख या प्राप्ति की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो, के बाद दूसरे कार्य दिवस पर प्रभावी मानी जाएगी। यदि नोटिस ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जाता है, तो नोटिस को तब तामील माना जाएगा जब इस तरह के नोटिस की प्रासंगिक रसीद पढ़ी जा रही है, या जहां कंपनी द्वारा भेजने वक़्त कोई पठन रसीद का अनुरोध नहीं किया गया है।

24. **लागत और खर्च:**

सभी लागतें (अधिवक्ता लागत सहित), शुल्क (पंजीकरण शुल्क सहित), खर्च, कर, शुल्क (स्टाम्प शुल्क सहित), चाहे चूक होने से पहले या बाद में, इस अनुबंध के संबंध में, इसके अनुसार निष्पादित कोई भी दस्तावेज और निर्माण, निर्वहन, संरक्षण, प्रवर्तन, प्राप्ति या किसी भी सुरक्षा की प्राप्ति का प्रयास उधारकर्ता और/या प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता कंपनी द्वारा किसी भी दस्तावेज़ को इकट्ठा करने या एकत्र करने के प्रयास में किए गए किसी भी खर्च, ब्याज की किश्तों और मूलधन और कंपनी के कारण किसी भी अन्य राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें कानूनी कार्यवाही के खर्च, संग्रह के लिए लगे प्रतिनिधियों के खर्च शामिल हैं। और सुरक्षा के रूप में प्रस्तावित संपत्ति के शीर्षक की जांच के लिए हैं।

उधारकर्ता/गारंटर कंपनी से मांग की सूचना की तारीख से 3 दिनों के भीतर कंपनी द्वारा भुगतान की गई सभी रकम या खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा। उक्त राशि पर भुगतान की तारीख से लेकर प्रतिपूर्ति की तारीख तक डिफ़ॉल्ट के लिए निर्धारित दर पर दंडात्मक शुल्क लगेगा।

25. **छूट:**

इस अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध या दस्तावेज़ के तहत कंपनी को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने या छोड़ने में कोई देरी ऐसे किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को कम नहीं करेगी और इसे छूट या किसी भी स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा। किसी भी चूक के संबंध में कंपनी की कार्रवाई या निष्क्रियता, न ही किसी चूक के संबंध में कंपनी की कार्रवाई या निष्क्रियता, किसी अन्य चूक के संबंध में कंपनी के किसी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या प्रभावित नहीं करेगी।

26. **प्रवर्तनीयता:**

यदि इस अनुबंध में निर्धारित एक या अधिक प्रावधान अमान्य या अप्रवर्तनीय हैं, तो यह सहमति है कि शेष अनुबंध फिर भी लागू करने योग्य होगा और कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, पार्टियों का इरादा, जैसा कि ऐसे किसी भी अधिकार या प्रावधान में परिलक्षित होता है जो अमान्य या अप्रवर्तनीय है, उसे प्रभावी किया जाएगा।

27. **जमा खाते की जानकारी:**

उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता, एतद्द्वारा उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता से संबंधित सभी या ऐसी किसी भी जानकारी और आधार सामग्री के कंपनी द्वारा प्रकटीकरण के लिए सहमत होता है और सहमति देता है; उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा प्राप्त/प्राप्त की जाने वाली किसी भी जमा खाते की सुविधा से संबंधित जानकारी या आधार सामग्री और उधारकर्ता/प्रत्याभूतिकर्ता द्वारा अपने ऐसे दायित्व के निर्वहन में चूक, यदि कोई हो, यदि कोई हो, जैसा कि कंपनी उचित और आवश्यक समझती है, RBI द्वारा इस संबंध में अधिकृत जमा खाते कंपनी/कंपनियों और/या एजेंसी/कंपनियों को खुलासा और प्रस्तुत करती हैं।

उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता आगे यह वचन देता है कि

i. जमा खाते की सूचना कंपनी/कंपनियां और/या एजेंसी/इस प्रकार अधिकृत कंपनी द्वारा खोजी गई उक्त जानकारी और डेटा को उनके द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले तरीके से उपयोग, संसाधित कर सकती है; तथा

ii. जमा खाते की सूचना कंपनी/कंपनियां या एजेंसी/इस प्रकार अधिकृत बैंक/वित्तीय संस्थानों और अन्य जमा खाते प्रत्याभूतिकर्ता या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और आधार सामग्री या उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है।

iii. उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता आगे सहमत होता है और कंपनी द्वारा उधारकर्ता/ प्रत्याभूतिकर्ता की सभी या किसी भी जानकारी को समूह की कंपनियों, सहायक कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति को कंपनी द्वारा प्रकट करने के लिए सहमति देता है जैसा भी कंपनी उचित समझती है।

28. **प्रकीर्ण:**

a. कंपनी किसी भी नियम और शर्तों (ब्याज दर, अतिरिक्त ब्याज दर, और समय से पूर्व भुगतान के लिए लागू दरों और इस अनुबंध के तहत लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क सहित) को संभावित रूप से बदलने, संशोधित करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और उधारकर्ता को सूचित कर सकती है, नियमों और शर्तों में किसी भी तरह से किसी भी बदलाव के लिए जो इसे उचित समझे।
b. यदि दो या अधिक उधारकर्ता हैं, तो इस अनुबंध के तहत उनकी देनदारियां संयुक्त और कई होंगी।
c. सभी अनुसूचियां और अनुबंध इस अनुबंध का हिस्सा होंगे।

d. सभी पत्राचार में, उधारकर्ता द्वारा अनुबंध संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए।

e. इस अनुबंध के तहत कंपनी के सभी उपाय चाहे यहां प्रदान किए गए हों या क़ानून, नागरिक कानून, सामान्य कानून, सीमा शुल्क, व्यापार या उपयोग द्वारा प्रदत्त हों, संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं हैं और इन्हें क्रमिक या समवर्ती रूप से लागू किया जा सकता है।

f. इस अनुबंध में, जब तक कि इसके संदर्भ या अर्थ की अन्यथा आवश्यकता न हो:
   (i) एकवचन में बहुवचन शामिल है, और इसके विपरीत भी हैं।
   (ii) मर्दाना लिंग को आयात करने वाले शब्दों में स्त्री लिंग और नपुंसक लिंग शामिल होंगे।
   (iii) सर्वनाम "वह(पुरुष)", "वह(स्त्री)", "यह", "उनके" आदि, संज्ञेय रूपांतरों को अंतर-परिवर्तनीय के रूप में उपयोग किया जाता है और संदर्भ के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए।
   (iv) किसी व्यक्ति को इंगित करने वाले शब्दों में एक व्यक्ति, निगम, कंपनी, साझेदारी व्यवसाय संघ, ट्रस्ट या कोई अन्य संस्था शामिल होगी।
   (v) ऋणभार में किसी भी प्रकार का गिरवी, ग्रहणाधिकार, दृष्टिबंधक या सुरक्षा हित और उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए ऋणात्मक ग्रहणाधिकार, गैर निपटान उपक्रम, यदि कोई हों, शामिल हैं।
   (vi) शीर्षक केवल संदर्भ के लिए हैं।

g. उधारकर्ता के गठन में कोई बदलाव नहीं होगा यदि वे साझेदारी व्यवसाय संघ/कंपनी/एचयूएफ(HUF) जैसी भी स्थिति हो, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान उधारकर्ता के दायित्व को कम या समाप्त नहीं करेगा।

h. संदर्भित

- एक अनुबंध / दस्तावेज / उपक्रम / विलेख / लिखत लेखन में समय-समय पर किए गए सभी संशोधनों के साथ-साथ अनुसूचियों, अनुलग्नकों और परिशिष्टों में भी शामिल हैं;
- "संपत्ति" में संपत्ति और अन्य सभी संपत्तियां शामिल हैं, जो भी वर्तमान और भविष्य (चाहे मूर्त, अमूर्त या अन्यथा), निवेश, नकदी प्रवाह, राजस्व, अधिकार, लाभ हित और हर विवरण का शीर्षक;
- प्राधिकरण में प्राधिकरण, सहमति, मंजूरी, अनुमोदन, अनुमति, समाधान, लाइसेंस, छूट, फाइलिंग और पंजीकरण शामिल हैं;
- ऋणभार में गिरवी रखना, प्रभार, ग्रहणाधिकार, गिरवी रखना, दृष्टिबंधक, प्रतिभूति हित या किसी भी प्रकार का कोई ग्रहणाधिकार शामिल है।

29. मध्यस्थता करना:

(a) इस अनुबंध से संबंधित, सभी विवादों, मतभेदों और/या दावों को, चाहे वे इसके अस्तित्व के दौरान उत्पन्न हुए हों या उसके बाद उत्पन्न हुए हों, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने से पहले अधिसूचित किए गए, उसमें हुए किसी वैधानिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाएगा, और विवाद के आरंभकर्ता द्वारा मध्यस्थता के लिए जिस एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा, उसे निम्नलिखित द्वारा नामित किया जाएगा:

(i) साउदर्न इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री- सेंटर फॉर ADR, जो साउदर्न इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संचालित होता है, वर्तमान में इसके पंजीकृत कार्यालय का पता है इंडियन चैंबर बिल्डिंग, P.B.No.1208, एस्प्लेनेड, चेन्नई - 600108 (या)

(ii) वैकल्पिक विवाद समाधान ट्रस्ट द्वारा संचालित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता परिषद (CNICA), वर्तमान में इसके पंजीकृत कार्यालय का पता है यूनिट नंबर 412, 4थी मंजिल, अल्फा विंग, रहेजा टावर्स, नंबर 113-134, अन्ना सलाई, चेन्नई 600 002.

(इसके बाद इसे "मध्यस्थता संस्थान" कहा जाएगा)। मध्यस्थता संस्थान द्वारा एकमात्र मध्यस्थ का नामांकन अनुबंध के सभी पक्षों की आपसी सहमति से किया गया संयुक्त नामांकन माना जाएगा। इस मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सभी पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा।

(b) मध्यस्थता संस्थान निम्नलिखित मामलों में नियुक्त मध्यस्थ के स्थान पर एक स्थानापन्न मध्यस्थ नियुक्त करेगा:
नियुक्त मध्यस्थ की मृत्यु; या

(ii) जहां नियुक्त मध्यस्थ किसी कारण से मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है।

(c) मध्यस्थता कार्यवाही की सीट और स्थान अनुसूची में निर्दिष्ट स्थान पर होगी। मध्यस्थता की सीट और स्थान पर स्थित न्यायालय के पास इस अनुबंध से या इसके तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों और मतभेदों और/या दावों पर विचार करने और निर्णय देने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा। मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

(d) मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन की सुविधा के लिए एकमात्र मध्यस्थ को प्रशासनिक सहायता, आवश्यक होने पर मध्यस्थता संस्थान द्वारा प्रदान की जा सकती है।

(e) इसके द्वारा सभी पार्टियां भौतिक और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक/वर्चुअल मोड (पोस्ट, ई-मेल के आदान-प्रदान और/या वीडियो कॉन्फ्रेंस (VC), ऑनलाइन, वर्चुअल सुनवाई आदि सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य माध्यम से, यदि आवश्यक हो तो बाहरी एप्लिकेशन या प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके) या उनके संयोजन का उपयोग करके, जैसा भी एकमात्र मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, लिखित दलीलें/प्रस्तुतियां, दस्तावेज़ प्रस्तुत

करके मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने पर सहमति देती हैं, एवं उसका निर्णय अंतिम और सभी पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

(f) एकमात्र मध्यस्थ अपने द्वारा पारित और उसके द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्णय/अंतरिम निर्णय/आदेश की एक प्रति डाक/कूरियर के माध्यम से या उस निर्णय की स्कैन की गई छवि या इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल हस्ताक्षर युक्त निर्णय, ई-मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या तो स्वयं या मध्यस्थता संस्थान के माध्यम से, जैसा भी वह उचित समझे, जिसे अधिनियम के प्रयोजनों से एक हस्ताक्षरित प्रति माना जाएगा, सभी पार्टियों को भेज सकता है।

(g) कर्जदार(कर्जदारों)/गारंटर(गारंटरों) द्वारा कंपनी के साथ निष्पादित/साझा किए गए अनुबंध या किसी अन्य दस्तावेज़ के तहत कर्जदार(कर्जदारों)/गारंटर(गारंटरों) द्वारा कंपनी को प्रदान किया गया डाक/ई-मेल और/या पते का कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एक सक्रिय डाक/ई-मेल और/या पते का कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम माना जाएगा और उस सक्रिय डाक/ई-मेल और/या पते का कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रभावी की गई कोई भी सेवा पूरी हो गई मानी जाएगी। ऊपर दिए गए डाक/ई-मेल और/या पते का कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कोई भी बदलाव या अन्य विसंगतियां, कंपनी को तुरंत सूचित की जाएंगी।

30. शिकायत निवारण तंत्र:

कंपनी ने आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है। शिकायत निवारण तंत्र और संपर्क विवरण https://cholaमंडलम.com/grievance-redressal.aspx पर उपलब्ध हैं। उधारकर्ता उक्त शिकायत निवारण तंत्र के तहत अपनी शिकायत का निवारण कर सकता है।

31. स्वीकृति:

उधारकर्ता और प्रत्याभूतिकर्ता एतद्द्वारा निम्नानुसार घोषित करते हैं:

उन्होंने अनुसूची में दिए गए सामग्री विवरण सहित पूरे अनुबंध को पढ़ लिया है, जो उनकी उपस्थिति में भरे गए हैं, सभी खंडों/विवरणों के पूरे अर्थ को समझ गए हैं और इसके लिए बाध्य होने के लिए सहमत हैं।

उन्होंने उक्त सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य से आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किया है और विधिवत निष्पादित अनुबंध की एक प्रति प्राप्त की है।

इस अनुबंध और अन्य दस्तावेजों को उनके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में समझाया गया है और उन्हें स्थानीय भाषा में मुद्रित इस ऋण का महत्वपूर्ण विवरण भी प्राप्त हुआ है और वे इससे संतुष्ट हैं। यदि इस अनुबंध के स्थानीय संस्करण में शब्द/शब्दों और/या खंड/शब्दों का अर्थ/व्याख्या इसके अंग्रेजी संस्करण के साथ असंगत है/हैं, तो अंग्रेजी संस्करण में शब्द/शब्दों और/या खंड/शब्द प्रबल होंगे।

वे सहमत हैं कि, यह अनुबंध समाप्त हो जाएगा और उस तारीख को कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा जब कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं।

एक व्यक्ति के मामले में

व्यक्ति का नाम

व्यक्ति के हस्ताक्षर

एक कंपनी के मामले में

इस बात के प्रमाण में कि कंपनी की सामान्य मुहर यहां ऊपर उल्लिखित पहले दिन और वर्ष के लिए लगाई गई है।

..... की कॉमन सील ने अपने निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार ..... 20 ..... के ..... दिन को इस संबंध में पारित किया है, जिसे श्रीमान/श्रीमती ..... श्रीमान/श्रीमती .....की उपस्थिति में उन् अधिकृत अधिकारी/अधिकारिओं ने आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन के अनुसार सलंगन कर दिया है, जिन्होंने अदालत नोटिस के टोकन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारी, जिन्होंने इन उपहारों पर इसके टोकन के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।

सामान मुहर

साझेदारी व्यवसाय संघ के मामले में

इस बात के प्रमाण में कि, व्यवसाय संघ के भागीदारों ने यहां, ऊपर उल्लिखित पहले दिन और वर्ष के लिए अपने-अपने हाथों को बैठाया और सदस्यता ली है।

_____ (साझेदारी व्यवसाय संघ का नाम) के लिए

भागीदार
संबंधित स्वत्वधारी के मामले में

इस बात के साक्ष्य में कि, उक्त स्वत्वधारी ने यहां ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष के लिए अपना हाथ सेट और सब्स्क्राइब किया है

_____ के लिए (संबंधित स्वत्वधारी का नाम)

स्वत्वधारी

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुसूची (गृह ऋण)

अनुबंध का स्थान	
अनुबंध की तिथि	
उधारकर्ता का नाम और पता	
प्रत्याभूतिकर्ता का नाम और पता	
ऋण का उद्देश्य	1. निर्माणाधीन भवन में फ्लैट की खरीद 2. निर्मित फ्लैट / मकान की खरीद 3. मकान का निर्माण 4. मकान का विस्तार/नवीनीकरण/सुधार 5. अन्य बैंक/संस्था/ऋणदाता से वित्तीय अदला-बदली
ऋण की राशि	
ऋण की अवधि	
सीआईएफसीएल (CIFCL) की शाखा	
दिनांक जिस तक पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा किया जाना है	
चुकौती आवृत्ति	मासिक
भुगतान तिथि	हर महीने का .....वां दिन
चोला एचएल संदर्भ दर (% प्रति वर्ष)	
ब्याज दर (% प्रति वर्ष)	अस्थायी ब्याज दर: सीएचआरएलआर (CHRLR)... स्प्रेड....% =...
ऋणमुक्ति	इस अनुबंध के तहत विभिन्न लेखों के तहत सहमत अनुबंधों के अधीन ब्याज के साथ संपूर्ण ऋण ..... * महीनों में एफआरएलएस (FRLS) के तहत ..... * रुपये की लगातार समान मासिक किस्तों (ईएमआई/EMI) में चुकाया जाएगा।
दंडात्मक प्रभार :	**a) भुगतान में चूक: निर्धारित देय तिथि पर भुगतान की जाने वाली किस्तों, PEMII या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में किसी देरी (भुगतान न की गई राशि) की स्थिति में, कर्जदार को देय तिथि से लेकर उस भुगतान न की गई राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक भुगतान न की गई राशि पर 36% प्रति वर्ष की दर से कंपनी की संतुष्टि के अनुरूप दंडात्मक प्रभार का भुगतान करना होगा।** **b) डिफ़ॉल्ट की अन्य घटनाओं के लिए: अनुच्छेद: 13 (d), (e), (i), (l), (ee) & (gg) में**

	सूचीबद्ध डिफ़ॉल्ट की किसी भी या अधिक घटनाओं के घटित होने पर इस अनुबंध के (जीजी) और (ii) में, उधारकर्ता को यहां सूचीबद्ध डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के घटित होने की तारीख से उस तारीख तक प्रति दिन 20 रुपये का दंड शुल्क देना होगा, जिस दिन ऐसी घटनाएं हुई थीं। डिफ़ॉल्ट को कंपनी की संतुष्टि के अनुसार ठीक कर दिया गया है	
सुरक्षा (संपत्ति का विवरण)		
स्वैप शुल्क	रु. 500 प्लस GST	
संवितरण चेक/पे आर्डर पुनः जारी करना	रु. 500 प्रति घटना + GST	
प्रसंस्करण शुल्क (P.F) और प्रशासन शुल्क (A.F)	रु. 5000/- कर और उपकर सहित)	रु. ----/- कर और उपकर सहित)
ब्याज दर रीसेट शुल्क	रीसेट की दर पर बकाया मूलधन का 1%	
प्रतिबद्धता शुल्क (कर्ज संवितरण स्वीकार करने से मना कर देने पर वापसी योग्य नहीं-स्वीकृति पत्र देखें)		
चेक/ACH/ECS/मैंडेट अनादर प्रभार	रु. 1000 प्रति घटना + GST	
CERSAI शुल्क	रु. 118/- (कर और उपकर सहित)	
खातों के स्टेटमेंट	रु. 500/- प्रति GST	
डुप्लीकेट NOC	रु. 500 प्रति GST	
फील्ड विजिट शुल्क	रु. 250 / प्लस GST प्रति विज़िट	
कब्जा और आकस्मिक शुल्क	वास्तविक के अनुसार	
समय से पूर्व भुगतान पे शुल्क	शून्य	
पहले संवितरण के बाद प्रत्येक संवितरण के लिए संपत्ति मूल्यांकन शुल्क	रु. 1000 प्लस GST	
फ्लोटिंग से निश्चित ब्याज दर पर और इसके विपरीत स्विच करने के लिए शुल्क	स्विच करने की तारीख पर बकाया मूल धन का 1%	
मध्यस्थता की सीट और स्थान		

नोट: मुख्य तथ्य विवरण और उसके स्पष्टीकरण अनुसूची के साथ संलग्नक के रूप में प्रदान किए गए हैं।

*इस अनुबंध की शर्तों में बदलाव के अधीन
*GST जैसा लागू हो
#ऊपर उल्लिखित पुनर्भुगतान अनुसूची अस्थायी ब्याज दर के मामले में परिवर्तन के अधीन है
#सह-उधारकर्ता के साथ या उसके बिना, व्यक्तिगत उधारकर्ता को व्यवसाय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत सभी अस्थायी दर ऋणों पर कोई पूर्व भुगतान/फौजदारी शुल्क नहीं लगाया जाता है।

विस्तृत चुकौती अनुसूची*

क्रमांक	**कार्यकाल:**	**दिनांक**	**ब्याज**	**मूलधन**	**ईएमआई**	**अंतिम शेष**

*"कृपया ध्यान दें कि ऊपर प्रदान की गई चुकौती अनुसूची अस्थायी है जो वास्तविक तिथि और कर्ज संवितरण की राशि के आधार पर बदल सकती है और संशोधित चुकौती अनुसूची कर्जदार को लिखित रूप में सूचित की जाएगी और इसे इस अनुबंध का हिस्सा माना जाएगा"।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार SMA और NPA श्रेणियों के रूप में ऋणों के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार है:

वर्गीकरण श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
SMA-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
NPA	90 दिनों से अधिक

SMA या NPA के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाता है और SMA या NPA वर्गीकरण तिथि, कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए कंपनी द्वारा दिन की समाप्ति प्रक्रिया चलाई जाती है।

एक बार NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को मानक परिसंपत्ति के रूप में उन्नत किया जाएगा, यदि मूलधन, ब्याज और/या अन्य राशियों की संपूर्ण बकाया राशि का उधारकर्ता द्वारा पूरा भुगतान किया जाता है (अभिव्यक्ति "मानक संपत्ति" का अर्थ और एक ऋण खाते को संदर्भित करना होगा जो SMA या NPA के रूप में वर्गीकृत होने की आवश्यकता नहीं है)। SMA या NPA वर्गीकरण उधारकर्ता स्तर पर किया जाता है जिसका अर्थ है कि उधारकर्ता के सभी ऋण खातों को उच्चतम अतिदेय दिनों वाले ऋण के लिए लागू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

SMA या NPA या RBI द्वारा निर्धारित किसी अन्य नई श्रेणी के रूप में ऋण खाते के वर्गीकरण में कोई भी परिवर्तन कंपनी द्वारा स्वचालित रूप से लागू किया जाएगा और यह उधारकर्ता पर लागू होगा।

SMA/NPA वर्गीकरण के लिए उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तारीख 31 मार्च, 2021 होगी। यदि ऋण खाता अतिदेय बना रहता है, तो ऋण खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, ऋण खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी तरह, यदि ऋण खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है तो इसे दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर 29 जून 2021 को, NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

नोट: सभी कर, शुल्क, आरोपित राशि, अधिभार और उपकर, जिसमें माल और सेवा कर GST शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जैसा कि लागू हो सकता है और समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, ऋण और अन्य राशियों के संबंध में अतिरिक्त रूप से उधारकर्ता द्वारा देय होगा।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उधारकर्ता/ओं प्रत्याभूतिकर्ता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उधारकर्ता/ओं

अनुबंध का स्थान		
अनुबंध की तिथि		
उधारकर्ता का नाम और पता		
सह-उधारकर्ता का नाम और पता		
प्रत्याभूतिकर्ता का नाम और पता		
व्यवसाय का स्थान और ऋणी की स्थिति (अर्थात, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/व्यक्तिगत/संघ/एकमात्र मालिक/HUF आदि)		
ऋण का उद्देश्य		
ऋण की राशि		
ऋण की अवधि		
दिनांक जिस तक पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा किया जाना है		
ब्याज का प्रकार	चोला संदर्भ दर से जुड़ी अस्थिर ब्याज दर	
चोला संदर्भ दर आज की तारीख के अनुसार	(% प्रति वर्ष)	
आज की तारीख के अनुसार लागू ब्याज दर	- प्रसार का% = (प्रति वर्ष)	
पुनः भुगतान कार्यक्रम* (a) प्रत्येक किश्त की राशि		
(b) किस्त की संख्या		
(c) और बाद की किश्तों का भुगतान प्रत्येक अगले महीने को या उससे पहले किया जाएगा; और बाद की किश्तों का भुगतान प्रत्येक अगले महीने __को या उससे पहले किया जाएगा;		
दरें जिस पर ब्याज देय है	मासिक / त्रैमासिक / अलग से देय / समान मासिक के रूप में मूलधन के साथ देय किस्त (ईएमआई/EMIआ.) - जिसकी हड़ताल लागू नहीं है*	
दंडात्मक प्रभार :	**a) भुगतान में चूक: निर्धारित देय तिथि पर भुगतान की जाने वाली किस्तों, PEMIi या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में किसी देरी (भुगतान न की गई राशि) की स्थिति में, कर्जदार को देय तिथि से लेकर उस भुगतान न की गई राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक भुगतान न की गई राशि पर 36% प्रति वर्ष की दर से कंपनी की संतुष्टि के अनुरूप दंडात्मक प्रभार का भुगतान करना होगा।** **b) डिफ़ॉल्ट की अन्य घटनाओं के लिए: अनुच्छेद: 13 (d), (e), (i), (l), (ee) & (gg) में सूचीबद्ध डिफ़ॉल्ट की किसी भी या अधिक घटनाओं के घटित होने पर इस अनुबंध के (जीजी) और (ii) में, उधारकर्ता को यहां सूचीबद्ध डिफ़ॉल्ट की घटनाओं के घटित होने की तारीख से उस तारीख तक प्रति दिन 20 रुपये का दंड शुल्क देना होगा, जिस दिन ऐसी घटनाएं हुई थीं। डिफ़ॉल्ट को कंपनी की संतुष्टि के अनुसार ठीक कर दिया गया है**	
सुरक्षा (संपत्ति का विवरण)		
स्वैप शुल्क	रु. 500 प्लस GST	
संवितरण चेक/पे आर्डर पुनः जारी करना	रु. 500 प्रति घटना + GST	
प्रतिबद्धता शुल्क (लोन संवितरण स्वीकार करने से मना कर देने पर वापसी योग्य नहीं- स्वीकृति पत्र देखें)		
प्रसंस्करण शुल्क P.C और प्रशासन शुल्क A.F	रु. 5000 रुपये (कर और उपकर	रु.--- (कर और उपकर सहित)

	सहित)
ब्याज दर रीसेट शुल्क	रीसेट की दर पर बकाया मूलधन का 1%
चेक/ACH/ECS/मैंडेट अनादर प्रभार	रु. 1000 प्रति घटना + GST
CERSAI शुल्क	GST सहित रु. 118 रुपये
दस्तावेजों की डुप्लीकेट सूची / दस्तावेजों की प्रति	रु. 750/- प्लस GST
समय से पूर्व भुगतान की शर्तें (गैर-व्यावसायिक उद्देश्य) समय से पूर्व भुगतान शुल्क	अनुबंध की तारीख से 12 (बारह) महीने तक समय से पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। - व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत ऋणों के लिए पूर्व भुगतान/फोरक्लोज़र शुल्क लागू होंगे (a) राशि का 2% प्रीपेड किया जा रहा है अगर खुद के फंड के माध्यम से भुगतान किया जाता है (b) किसी अन्य फाइनेंसर को ऋण के शेष हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान की जाने वाली राशि का 4% प्रीपेड किया जा रहा है
आंशिक भुगतान शुल्क	2% + GST POS
लेखा-विवरण	रु. 500/- प्लस GST
डुप्लीकेट NOC	रु. 500 प्लस GST
फील्ड विजिट शुल्क	रु. 250 / प्लस GST (GST) प्रति विज़िट
फ्लोटिंग से निश्चित ब्याज दर पर और इसके विपरीत स्विच करने के लिए शुल्क	स्विच करने की तारीख पर बकाया मूल धन का 1%
मध्यस्थता की सीट और स्थान	
कानूनी / वसूली / कब्जा और आकस्मिक शुल्क	वास्तविक के अनुसार
कॉलम को व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जारी किए गए मंजूरी पत्र के अनुरूप भरना होगा। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, कृपया इस प्रकार उल्लेख करें: पूर्वभुगतान के लिए कोई शर्त/प्रतिबंध नहीं। गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, कृपया इस प्रकार उल्लेख करें: समझौते की तारीख से 12 (बारह) महीने तक पूर्वभुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।	

* ऊपर उल्लिखित चुकौती अनुसूची अस्थिर ब्याज दर के मामले में परिवर्तन के अधीन है

* सह-उधारकर्ता के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत सभी अस्थायी रेट टर्म ऋणों पर कोई पूर्व-क्लोज़र शुल्क नहीं लगाया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार SMA और NPA श्रेणियों के रूप में ऋणों के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार है:

वर्गीकरण श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय
SMA-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
NPA	90 दिनों से अधिक

SMA या NPA के रूप में वर्गीकरण प्रासंगिक तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किया जाता है और SMA या NPA वर्गीकरण तिथि कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए कंपनी द्वारा दिन की समाप्ति प्रक्रिया चलाई जाती है।

एक बार NPA के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को मानक परिसंपत्ति के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, यदि मूलधन, ब्याज और/या अन्य राशियों की संपूर्ण बकाया राशि का उधारकर्ता द्वारा पूरा भुगतान किया जाता है (अभिव्यक्ति "मानक संपत्ति" का अर्थ और एक ऋण खाते को संदर्भित करना होगा जो SMA या NPA के

रूप में वर्गीकृत होने की आवश्यकता नहीं है)। SMA या NPA वर्गीकरण उधारकर्ता स्तर पर किया जाता है जिसका अर्थ है कि उधारकर्ता के सभी ऋण खातों को उच्चतम अतिदेय दिनों वाले ऋण के लिए लागू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

SMA या NPA या RBI द्वारा निर्धारित किसी अन्य नई श्रेणी के रूप में ऋण खाते के वर्गीकरण में कोई भी परिवर्तन कंपनी द्वारा स्वचालित रूप से लागू किया जाएगा और यह उधारकर्ता पर लागू होगा।

SMA/NPA वर्गीकरण के लिए उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2021 है, और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तारीख 31 मार्च, 2021 होगी। यदि ऋण खाता अतिदेय बना रहता है, तो ऋण खाते को 30 अप्रैल, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर यानी लगातार अतिदेय होने के 30 दिन पूरे होने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा। तदनुसार, ऋण खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल, 2021 होगी।

इसी तरह, यदि ऋण खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2021 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर SMA-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है तो इसे दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर 29 जून 2021 को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उधारकर्ता/ओं

नोट: समय-समय पर संशोधित वस्तु एवं सेवा कर (GST) सहित सभी लागू कर, शुल्क, आरोपित राशि, अधिभार और उपकर यहां ऊपर निर्दिष्ट कर योग्य राशियों पर अतिरिक्त रूप से लगाए जाएंगे।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उधारकर्ता/ओं प्रत्याभूतिकर्ता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उधारकर्ता/ओं

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उधारकर्ता/ओं

माँग वचन पत्र – उधारकर्ता

दिनांक:
स्थान:

प्रति,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर B-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032

श्रीमान,

.....संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से और बिना शर्त चोलमांडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का . रुपए का भुगतान करने का वादा करते हैं।(.....दर) प्रति वर्ष या ऐसी अन्य दर जो कंपनी समय-समय पर तय कर सकती है, जो प्राप्त मूल्य के लिए मासिक / त्रैमासिक अंतराल के साथ देय है। नोट के भुगतान, नोटिंग और विरोध के लिए प्रस्तुति एतद्द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से माफ की जाती है।

एक व्यक्ति के मामले में

रसीदी टिकट

व्यक्ति का नाम

व्यक्ति के हस्ताक्षर

एक कंपनी के मामले में

इस बात के प्रमाण में कि कंपनी की सामान्य मुहर, यहां ऊपर उल्लिखित पहले दिन और वर्ष के लिए लगाई गई है।

..... की कॉमन सील ने अपने निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार ..... 20 ..... के ..... दिन को इस संबंध में पारित किया है, जिसे श्रीमान/श्रीमती ..... श्रीमान/श्रीमती .....की उपस्थिति में उन् अधिकृत अधिकारी/अधिकारिओं ने आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन के अनुसार सलंगन कर दिया है, जिन्होंने अदालत नोटिस के टोकन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारी, जिन्होंने इन उपहारों पर इसके टोकन के रूप में हस्ताक्षर किए हैं।

सामान मुहर

साझेदारी व्यवसाय संघ के मामले में

इस बात के प्रमाण में कि, व्यवसाय संघ के भागीदारों ने यहां, ऊपर उल्लिखित पहले दिन और वर्ष के लिए अपने-अपने हाथों को बैठाया और सदस्यता ली है।

..... (साझेदारी व्यवसाय संघ का नाम) के लिए

भागीदार
संबंधित स्वत्वधारी के मामले में

इस बात के साक्ष्य में कि, उक्त स्वत्वधारी ने यहां ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष के लिए अपना हाथ सेट और सब्स्क्राइब किया है

..... के लिए (संबंधित स्वत्वधारी का नाम)

स्वत्वधारी

ज्ञापन अभिलेख शीर्षक विलेख के जमा द्वारा बंधक के निर्माण के पिछले लेनदेन

इस ज्ञापन को अनुसूची-I में नामित व्यक्ति(ओं) द्वारा ...इस दिन निष्पादित किया जाता है (इसके बाद "इसके बाद" जमाकर्ता(ओं) "के रूप में संदर्भित किया जाता है,

जो अभिव्यक्ति होगी, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के लिए प्रतिगामी न हो, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के पक्ष में शीर्षक विलेख जमा करके समान बंधक के निर्माण के पिछले लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए, उनके संबंधित वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक, नामित, वकील और असाइन किए गए) को शामिल माना जाता है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर B-4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032 में है (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित), कौन सी अभिव्यक्ति, जब तक कि वह संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, का अर्थ समझा जाएगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और कार्यभार शामिल होंगे) जैसा नीचे दिया गया है:

1. एक ऋण अनुबंध के अनुसार, दिनांक ..... (बाद में "अनुबंध" के रूप में संदर्भित), कंपनी ने जमाकर्ता(ओं) और/या अनुसूची- II में उल्लिखित व्यक्तियों को प्रदान/अनुदान देने के लिए (बाद में "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित), ... रुपये की ऋण सुविधा . (रुपए) उक्त अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की;

2. ..... जमाकर्ता (ओं) ने ..... के दिन कंपनी के कार्यालय, ... में उपस्थित हुए और कंपनी के श्री/सुश्री ..... से मिलें, जो कंपनी के लिए और कंपनी की ओर से कार्य करते हुए, और कंपनी के लिए और उसकी ओर से कार्य करने वाली मिस्टर/मिस ..... के पास शीर्षक जमा किए गए, यहां से अनुसूची IV में वर्णित शीर्षक, शीर्षक विलेख, दस्तावेज और लेखन, जमाकर्ता(ओं) संपत्तियों से संबंधित, जो कि अनुसूची III में पूरी तरह से वर्णित हैं (इसके बाद "संपत्तियों" के रूप में संदर्भित), इस आशय से कि उक्त शीर्षक अनुसूची IV में सूचीबद्ध विलेख, ऋणी के देय पुनर्भुगतान/भुगतान के लिए जमाकर्ता(ओं) की संपत्तियों के संबंध में और कंपनी के पक्ष में शीर्षक विलेखों को जमा करके बंधक के रूप में और बंधक के रूप में जमा रहना चाहिए ऋण की मूल राशि, ब्याज, परिसमाप्त क्षतियों, लागतों, प्रभारों और व्ययों और अन्य सभी धन, जो भी उधारकर्ता द्वारा कंपनी को देय और देय हों, चाहे वे उक्त अनुबंध के तहत या अन्यथा (बाद में सामूहिक रूप से "बकाया" के रूप में संदर्भित) हों।

3. जमाकर्ता(ओं) ने उक्त जमा के समय, अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी को यह घोषित और प्रस्तुत किया कि जमाकर्ता(ओं) अनुसूची III में वर्णित संपत्तियों के पूर्ण मालिक था/ थे, कि जमाकर्ता(ओं) को संपत्तियों के संबंध में एक वैध बंधक बनाने का अधिकार था, कि अनुसूची IV में सूचीबद्ध शीर्षक विलेख, दस्तावेज और लेखन संपत्ति से संबंधित शीर्षक के एकमात्र दस्तावेज हैं और इसे कंपनी के साथ जमा किया गया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और यह कि, वे तब तक प्रतिभूति के रूप में बने रहेंगे जब तक कि स्वामित्व विलेखों की जमा राशि द्वारा, उक्त साम्यिक बंधक द्वारा सुरक्षित संपूर्ण बकाया कंपनी को उधारकर्ता(यों) और/या जमाकर्ता(ओं) द्वारा पूर्ण रूप से भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

उधारकर्ता का नाम:

उधारकर्ता/ओं के हस्ताक्षर:

जिनके द्वारा हस्ताक्षरित और रिकॉर्ड किया गया: उपस्थिति में

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से,

गवाह 1. .....

गवाह 2. .....

अनुसूची I

[जमाकर्ता(ओं) का विवरण]

1. श्रीमान/सुश्री, पुत्र/पत्नी/..... की पुत्री, लगभग वर्षों ..... वृद्ध, वर्तमान में में ... रह रहे हैं
2. श्रीमान/सुश्री, पुत्र/पत्नी/.....की पुत्री, लगभग वर्षों..... वृद्ध, वर्तमान में में.....रह रहे हैं
3. श्रीमान/सुश्री, पुत्र/पत्नी/.....की पुत्री, लगभग वर्षों..... वृद्ध, वर्तमान में में.....रह रहे हैं
4. श्रीमान/सुश्री, पुत्र/पत्नी/.....की पुत्री, लगभग वर्षों..... वृद्ध, वर्तमान में में.....रह रहे हैं

अनुसूची II

-

[उधारकर्ता के अलावा जमाकर्ता, यदि कोई हो]

1. श्रीमान/सुश्री, पुत्र/पत्नी/.....की पुत्री, लगभग वर्षों..... वृद्ध, वर्तमान में में.....रह रहे हैं
2. श्रीमान/सुश्री, पुत्र/पत्नी/.....की पुत्री, लगभग वर्षों..... वृद्ध, वर्तमान में में.....रह रहे हैं
3. श्रीमान/सुश्री, पुत्र/पत्नी/.....की पुत्री, लगभग वर्षों..... वृद्ध, वर्तमान में में.....रह रहे हैं
4. श्रीमान/सुश्री, पुत्र/पत्नी/.....की पुत्री, लगभग वर्षों..... वृद्ध, वर्तमान में में.....रह रहे हैं

अनुसूची III

संपत्ति का विवरण

अनुसूची IV

कंपनी के पास जमाकर्ता(ओं) द्वारा जमा किए गए स्वामित्व विलेखों/दस्तावेजों की सूची

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के लिए।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

उधारकर्ता/ओं

संविधान और प्राधिकरण के रूप में HUF घोषणा

दिनांक:
स्थान:

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032

श्रीमान,
विषय में:.....(सुविधा की प्रकृति) का लाभ.....(HUF का नाम) के नाम पर

हम अनुशीर्षक का उल्लेख करते हैं ..... हमारे द्वारा प्राप्त की गई सुविधा का, जो निम्नलिखित तौर पे घोषित हैं।

हम, अधोहस्ताक्षरी, HUF के एकमात्र सदस्य हैं और श्री ..... कर्ता हैं और हम उनकी देनदारियों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हम HUF में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में, लिखित रूप में सलाह देंगे और सभी मौजूदा सदस्य किसी भी दायित्व पर आपके लिए उत्तरदायी होंगे जो इस तरह के नोटिस की प्राप्ति की तारीख तक और आपकी पुस्तकों में HUF के नाम पर हो सकता है। ऐसे सभी दायित्वों को समाप्त कर दिया जाएगा। श्री ..... हमारी ओर से और HUF की ओर से उपरोक्त सुविधा के संबंध में सभी या किसी भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए, कर्ता हमारे द्वारा विधिवत अधिकृत हैं।

मैं/हम आगे वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आपको और आपके असाइन किए गए लोगों को ऐसे दावों, हानियों और क्षति के लिए बिना शर्त मुआवजा देंगे, जो आपको/उन्हें इस घोषणा पर भरोसा करने के कारण या इसके संबंध में किसी भी समय भुगतना पड़ सकता है। उसकी वैधता या प्रवर्तनीयता के साथ।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

सह-आगीदारों का नाम — हस्ताक्षर (कृपया बिना स्टाम्प के हस्ताक्षर करें)

1.

2.

3.

4.

संविधान के संबंध में साझेदारी की घोषणा

दिनांक:
स्थान:

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032

श्रीमान,

विषय में:: ..... के नाम पर एक..... (सुविधा की प्रकृति) का लाभ उठाना (साझेदारी व्यवसाय संघ का नाम)

हम अनुशीर्षक का उल्लेख करते हैं ..... हमारे द्वारा प्राप्त की गई सुविधा का, जो निम्नलिखित तौर पे घोषित हैं।

हम, अधोहस्ताक्षरी, व्यवसाय संघ में एकमात्र भागीदार हैं और इसकी देनदारियों के लिए पूरी तरह से ज़ीम्मेदार हैं। हम साझेदारी में होने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में सलाह देंगे और सभी, वर्तमान / भविष्य के भागीदार किसी भी दायित्व पर आपके लिए उत्तरदायी होंगे, जो इस तरह की सूचना की प्राप्ति की तारीख को, आपकी पुस्तकों में व्यवसाय संघ के नाम पर होते हैं। और जब तक ऐसे सभी दायित्वों का परिसमापन नहीं किया जाता, तब तक।

मैं/हम आगे वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आपको और आपके असाइन किए गए लोगों को ऐसे दावों, हानियों और क्षति के लिए बिना शर्त मुआवजा देंगे, जो आपको/उन्हें इस घोषणा पर भरोसा करने के कारण या इसके संबंध में किसी भी समय भुगतना पड़ सकता है। उसकी वैधता या प्रवर्तनीयता के साथ।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

भागीदारों का नाम हस्ताक्षर (कृपया बिना स्टाम्प के हस्ताक्षर करें)

1.

2.

3.

4.

साझेदारी फर्म द्वारा प्राधिकरण का पत्र

दिनांक:
स्थान:

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032

हम, मैसर्स के भागीदार कंपनी से साझेदारी संघ द्वारा ..... प्राप्त ऋण सुविधा के संबंध में विभिन्न समझौतों और अन्य संबंधित दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए नीचे उल्लिखित साझेदारों में से किसी को भी अधिकृत करने के लिए सहमत हैं। प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल तब तक वैध और प्रभावी है और रहेगा जब तक अन्यथा लिखित रूप में सूचित नहीं किया जाता है।

साझेदारी विलेख में प्रदान की गई शक्तियों के तहत प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल दिया गया है।

सह-भागीदारों का नाम	हस्ताक्षर
1.	
2.	
3.	
4.	

धन्यवाद,
आपका विश्वासी,

M/s के लिए .....

सह-भागीदारों का नाम	हस्ताक्षर (स्टाम्प सहित)
1.	
2.	
3.	
4.	

PDC जमा करने की घोषणा

दिनांक:
स्थान:

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032

श्रीमान,

विषय:..... रु की राशि की ऋण सुविधाएं, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ("कंपनी") द्वारा दी गई / प्रदान की जाने वाली उपरोक्त क्रेडिट सुविधाओं के लिए और एक सुरक्षा के रूप में, मैं / हम अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी को चेक (जैसा कि नीचे वर्णित है) वितरित करते हैं। कंपनी के पक्ष में, उसके रिक्त होने के कारण चेक की तिथि और राशि का पुनः उन्नयन किया जाता है।

अनुक्रमांक	चेक संख्या

मैं/हम सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम ("अधिनियम") की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को वर्तमान मामले में उक्त चेक के धारक के रूप में, उक्त चेक को पूरा करने का अधिकार होगा।

उक्त चेकों को पूरा करने के लिए कंपनी को अधिकृत करने वाले अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, मैं/हम एतद्द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से उक्त चेक पर तारीख और राशि भरने के लिए कंपनी के अधिकार को अधिकृत और पुष्टि करते हैं। भुगतान के लिए वही प्रस्तुत करें।

मैं/हम एतद्द्वारा कंपनी द्वारा पूर्ण किए गए उक्त चेकों के आहरणकर्ता के रूप में पूरी तरह से बाध्य होने का वचन देते हैं और उसी तरह से उत्तरदायी होंगे जैसे उक्त चेक मेरे/हमारे द्वारा आहरित और परिकल्पित किए गए थे जो भुगतान के लिए प्रस्तुति पर यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त चेक का सम्मान किया गया है।

मैं/हम सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि उक्त चेकों के अनादरित होने पर मैं/हम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधानों सहित उत्तरदायी होंगे।

आपको धन्यवाद,Your's truly
आपका आभारी
के लिए (व्यक्ति/कंपनी/व्यवसाय संघ का नाम)

हस्ताक्षर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(कंपनी/व्यवसाय संघ के मामले में लगाया जाने वाला अधिकृत हस्ताक्षरी स्टाम्प)

एकमात्र मालिक की घोषणा

दिनांक:
स्थान:

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032

श्रीमान,

विषय: ऋण सुविधाएं रु.....

मैं आपके द्वारा दी गई उपरोक्त सुविधा का उल्लेख करता हूं और निम्नानुसार यह घोषित करता हूं:

मैं, अधोहस्ताक्षरी इस संस्था का ..... एकमात्र मालिक हूं और ..... में मेरा कार्यालय है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि उपरोक्त सुविधा की आय मुझे रु. ..... (केवल रुपए में) का उपयोग विशेष रूप से ..... के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

एकमात्र स्वामी

हस्ताक्षर

नाम.....

(सम्बंधित अधिकृत हस्ताक्षरी स्टाम्प चिपकाया जाए)

अंतिम उपयोग पत्र

दिनांक:
स्थान:

श्रीमान,

विषय: ..... ऋण के लिए आवेदन .....

मैं/हम ..... आवेदन संख्या संदर्भ..... दिनांक..... को हमारे द्वारा चोलामंडलम इंवेस्मेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को प्रस्तुत किये गए थे, जिन्हें चोलामंडलम के नाम से जाना जाता है (अभिव्यक्ति, जब तक कि वह विषय या उसके संदर्भ के प्रतिकूल न हो, में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे) ..... का लाभ उठाने के लिए ..... का लोन चोलमंडलम से, जो उक्त आवेदन पत्र में बताया गया है, युक्त लोन का उद्देश्य है ..... ।

1. ऋण का समेकन
2. व्यापार की ज़रूरते
3. निवेश
4. संपत्ति अधिग्रहण
5. मॉर्गेज बायआउट / बैलेंस ट्रांसफर
6. व्यक्तिगत जरूरतें

मैं इसके द्वारा प्रतिनिधित्व, आश्वस्त और पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त उद्देश्य एक वैध उद्देश्य है और किसी भी तरह का सट्टा या किसी भी तरह से अवैध नहीं है। मैं आगे, इससे सहमत हूं, पुष्टि करता हूं और वचन देता हूं कि ऋण के तहत धन के उपयोग का उद्देश्य ऋण की अवधि के दौरान किसी भी तरह से नहीं बदला जाएगा; या उद्देश्य में ऐसा परिवर्तन चोलामंडलम की पूर्व लिखित अनुमति से ही होगा

मैं सहमत करता हूं कि, उपरोक्त सभी या किसी भी उपक्रम के अनुपालन में कोई उल्लंघन या चूक, ऋण समझौते के तहत चूक की घटना होगी।

आपका धन्यवाद,

1. आवेदक का हस्ताक्षर:

   आवेदक का नाम:

2. सह-आवेदक के हस्ताक्षर:

   सह-आवेदक का नाम:

<u>ऋण वितरण अनुरोध प्रपत्र</u>

सेवा में,

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
चोला क्रेस्ट, सी 54 और 55, सुपर B-4,
थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई-600 032

श्रीमान,

मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि, आप नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऋण राशि का वितरण करें:

रु ..../- .... ന്
पक्ष में

रु ..../- .... ന്
पक्ष में

धन्यवाद,

धन्यवाद,

स्थानीय भाषा में/निरक्षर/अंधे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने के संबंध में ज्ञापन

दिनांक:
स्थान:

नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों की सामग्री को ..... (दस्तावेजों का अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम और पता) द्वारा पढ़कर, मुझे ..... (उधारकर्ता का नाम और पता, जो अंग्रेजी नहीं समझता) ..... में (स्थानीय भाषा) समझाया गया है और मैंने दस्तावेज़ की सामग्री को पूरी तरह से समझ लिया है।

दस्तावेजों की सूची:

1. ऋण समझौता

उधारकर्ता के हस्ताक्षर (जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं)

उधारकर्ता के हस्ताक्षर (जो अंग्रेजी नहीं समझते हैं)

दस्तावेजों का अनुवाद करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर